

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 760बैठक दिनांक 29/05/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No P2/848/24 Shri RAMKISAN KHANDELWAL, Owner, Kanti Oli Kamtee Nagpur, MAHARASHTRA. Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.00 ha. (50,085 Tons Per year) (Khasra No. 19/2) Village-Paraspani, Tehsil- Kurai, District-Seoni (M.P.)SIA/MP/MIN/468621/2024 (B-2)

प्रस्तावित डोलोमाइट खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामकिशन आर. खण्डेलवाल पुत्र श्री राधाकिशन खण्डेलवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. से ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Ramkishan R. Khandelwal S/o Shri Radhakishan Khandelwal Resi. – Kanti Oli Kamptee, District- Nagpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	19/2 (निजी – भूमि)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Paraspani, Tehsil- Kurai, District- Seoni (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 3-250/97/12/2 दिनांक 19/03/2022 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का	वर्ष- 10/12/2023, क्षमता- डोलोमाइट-50,085 टन/वर्ष,	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	पुनरीक्षित अक्षांश/देशान्तर
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम– पारसपानी, दिनांक– 18/04/2024		
उत्पादन क्षमता	क्षमता– डोलोमाईट–50,085 टन/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 778 दिनांक 15/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 778 दिनांक 15/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं RF-289से 50 मीटर में वन क्षेत्र स्थित है आवेदित क्षेत्र में 147 वृक्ष है जिनका घनत्व 0.2 है। ईको सेंसिटिव जोन व नेशनल पार्क आवेदित क्षेत्र से 14 कि. मी. दूर स्थित है।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 778 दिनांक 05/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता कच्चा रास्ता /नाला नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पारसपानी जिला सिवनी ठहराव प्रस्ताव क्र. 1584 दिनांक 09/07/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।		

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित क्षेत्र में 50 वृक्ष है जिनमें 5 पेड़ काटे जाएंगे जिसके स्थान में 50 पेड़ नो माईनिंग जोन में लगाए जाएंगे एवं बाकि 45 पेड़ों को नो माईनिंग जोन के रूप में छोड़ा गया है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— मावन रहबासी क्षेत्र लगभग 440 मीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम दिशा— पक्का रोड लगभग 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे 160 मीटर का सेटबैक दिया गया है। एवं 230 मीटर पर नाल है।
	सेटबैक देने के बाद माईनिंग एरिया 0.8975 हेक्टेयर एवं नो माईनिंग एरिया 1.1025 हेक्टेयर है।
	पर्यावरण सलाहकार/परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह खदान डोलोमाईट कि खदान है जो कि पूर्व में मेजर मिन्टल में आती थी मेजर मिन्टल में 0-5 हेक्टेयर कि खदानों का पर्यावरण स्वीकृती नहीं ली जाती थी। 2016 में MPMMR Rule में संशोधन के बाद डोलोमाईट को माईनर मिन्टल में लिया गया। यह खदान 2002 में पत्र क्रमांक 3-250/97/12/2 भोपाल दिनांक 19/03/2002 को 20 वर्ष के लिए स्वीकृत हुई थी। यह खदान एकल पत्र अनुसार वन क्षेत्र से 50 मीटर दूर है। किन्तु वन क्षेत्र से 250 मीटर के अंदर खदान क्षेत्र आने पर कमिश्नर एन ओ सी का नियम पत्र क्रमांक 5/16/81/10-3 भोपाल दिनांक 7/10/2022 में आया था इससे पूर्व कि खदानों को कमिश्नर एन ओ सी लेना अनिवार्य नहीं था। चूकि अक्त खदान 19/03/2002 को सेंक्शन है। इस कारण उक्त प्रकरण में कमिश्नर एन ओ सी कि आवश्यकता नहीं है। उक्त खदान गजट नोटिफिकेशन 12/1/2012 के अनुसार 6/6/2022 से 6/6/2052 तक कि अवधि वृद्धि हुई है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	30/04/2024

Set back के संबंध में —"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority concerning year-wise production."

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परीक्षण उपरान्त पाया कि खनन क्षेत्र निजी भूमि पर प्रस्तावित है । कशर खनन क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र में पश्चिम दिशा में 40 मीटर दूरी पर रोड़ होने से 160 मीटर का सेटबैक दिया गया है । खनन क्षेत्र में 45 पेड़ हैं जिनमें से 5 पेड़ काटे जायेंगे। इस हेतु वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-5/16/8/10-3 दिनांक 07 अक्टूबर 2002 में पेड़ काटे जाने की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट खदान 50,085 टन/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 4- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.67. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.49 लाख प्रति वर्ष

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	63,225	-
1(b)	Water requirement- 1.405 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (270 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>	2,85,000	20,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	a) Plantation within lease boundary @ Rs. 200/plant.	600 plants × 200 Rs =1,20,000/-		
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	1500 plants × 50 Rs =75,000/-		
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	300 plants × 300 Rs =90,000/-		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 622 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 		80,185	5,000
5	Chain-link fencing (617 m) @200 rupees/meter.		1,23,400	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.		-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).		10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 25 Labors -25 × 500 × 2)		-	25,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 25 workers - 25 × 1500)		37,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet		1,50,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system		5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (2 Trucks × 500 × 2 times in a year)		-	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.		22,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (864 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)		86,400	
18	Air Pollution control Equipment for Dust control		1,00,000	15000
	TOTAL		11,67,710/-	1,49,000/-

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

Plantation in other area.

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	600
2	नो माईनिंग जोन (सेट बैंक एरिया)	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	800
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
योग			2700
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

2. **Case No P2/854/24 Shri SATISH JAISWAL, Lease Owner, R/o-136, Tilak Path, Opp Pipal Awar, District-Khargone (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (Stone-9500 cum per annum & M-Sand-4750 cum per annum) (Khasra No. 7) Village-Mominpura, Tehsil-Khargone, District-Khargone (M.P.). SIA/MP/MIN/468226/2024 (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

3. **Case No P2/841/24 Smt. SAROJRANI YADAV, Owner, GADOLI KALAN BAHERIYA SHAHNI SAGAR (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 108) Village-GANDHOLI Tehsil- Sagar District Sagar (M.P.).SIA/MP/MIN/460605/2024 (B-2)**

प्रस्तावित खदान बी-2श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सरोज रानी यादव पत्नी श्री प्रकाश यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्णचन्द्र पांडा (ऑनलाइन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	SAROJRANI YADAV, Owner, GADOLI KALAN BAHERIYA SHAHNI SAGAR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	108(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम GANDHOLI तसहील और जिला Sagar (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 837 दिनांक 02/06/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज के बाहर है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्षहै।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 27/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 27/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 27/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गढ़ौलीकलां जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 15 जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जायेगा
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- खदान के उत्तर दिशा में कृषि भूमि परिलक्षित हो रही है दक्षिण दिशा- खदान के दक्षिण दिशा में 138मीटर पर एक पक्की सड़क, बंजर भूमि एवं कृषि भूमि परिलक्षित हो रही है पूर्व दिशा- खदान के पूर्व दिशा में 20मीटर पर एक पक्की सड़क परिलक्षित हो रही है पश्चिम दिशा-खदान के पश्चिम दिशा में कृषि भूमि परिलक्षित हो रही है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 126 दिनांक 30/01/24 अनुसार उक्त खदान को आगामी डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

4. **Case No P2/869/24 LALITA PATIDAR, Owner, R/o 19/51 Mahrana Bangla Neemuch, District-Neemuch (M.P) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 491) Village BAMANBARDI Tehsil Neemuch District Neemuch (M.P.). TOR**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

5. Case No P2/874/24 Shri PRABUDH BHARDWAJ, Proprietor, 78 Balaji Enclave - 1, Baghana District Neemuch (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (Stone-20,000 cum per annum & M-Sand-20,000 cum per annum) (Khasra No. 998, 1746) Village KUCHROO Tehsil Jiran District Neemuch (M.P.). ToR

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

6. Case No 10107/23 Shri Rahul Gadia, Lessee, M/s SHREE SANWARIYA INFRASTRUCTURES, 37-38 Arihant Parisar , Hira Milmarg, Koyla Fatak, District –Ujjain (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 1.99 ha. (Stone-10000, M-Sand-15000 cum per year) (Khasra No. 170, 172, 173, 174/2, 176/1, 169/2), Village-Chakjai Rampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) SIA/MP/MIN/469378/2024 (EIA).

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Rahul Gadia**, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Shri Satwant Singh, M/s. Acro Design and Engineering, Ghaziabad, U.P.** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Rahul Gadia, Lessee, M/s SHREE SANWARIYA INFRASTRUCTURES, 37-38 Arihant Parisar , Hira Milmarg, Koyla Fatak, District –Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	170, 172, 173, 174/2, 176/1, 169/2(निजी भूमि)	1.99 hectare.
स्थल	Village-Chakjai Rampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 1442 दिनांक 18/11/21 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
टॉर	सेक की 665वीं बैठक दिनांक 03/8/2023 को अनुशंसित, सिया के	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	पत्र क्रमांक 1282 दिनांक 12/9/2023 के द्वारा Stone-10000, M-Sand-15000 cum per year के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone-10000, M-Sand-15000 cum per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone-10000, M-Sand-15000 cum per year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 769 दिनांक 12/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 22.44 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 769 दिनांक 12/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 769 दिनांक 12/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरसोदन जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 15/08/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पूर्व दिशा में खुदा हुआ है । पश्चिम दिशा- आबादी 360 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के के सरल क्रमांक-48 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

--	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि कशर व एम सेन्ड प्लांट खनन क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित है । बैरियर जोन खुदा हुआ है, आसपास की खदानों में कोई पर्यावरणीय कार्य नहीं हुआ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में श्री ऋषि प्रताप सिंह से मेसर्स सावरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम लीज ट्रांसफर हो गई है । खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर पर कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया और न ही सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये । पूर्व में डिया द्वारा जारी ई. सी. की शर्तों का 6 माह में पालन सुनिश्चित कर लिया जावे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone-10000, M-Sand-15000 cum per year
2. पिट्स में बैंचेस/बैरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
- 5- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.96 लाख प्रति वर्ष ।

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	30,000	5,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1/2 tanker/day x 500 Rs./per tanker X 300 days	Nil	75,000
2	Two Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [1400m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	50,000	5,000
3	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
4 a	Wire Fence 850 x 300	2,55,000	10,0004
4b	Crusher pollution control equipment for dust control	1,50,000	25,000
4c	Distribution of LED bulb for carbon foot print mitigation	10,000	-
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 15 feet)	10,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 2	2,000	1,000
8	Occupational health Survey 15 Labour @ 500 Rs. = 7500Rs./twice per year @500 x 2 x 15	Nil	15,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 15 labor @1000 Rs.	15000	2,000
10	First Aid Kits , Number of kits 15	15,000	5,000
11	Fire Safety (1 nos.) , @ 5,000	5,000	2,500
Solid Waste Management			
a.	Bins 2 Nos.	5000	5,000
b.	Pit and Composed	5000	
c.	Transport of Dry Waste	5000	
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	2,500
13	Signage and Caution Board	5,000	1,000
Total EMP Cost		5,62,000	1,96,000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय अधोसंचरना (Chakjairampur) विकास हेतु पालक शिक्षक संघ के अकाउंट में 6 महीने के अंदर धन राशि जमा की जायेगी	100,000
कुल	1,00,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कमवृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधोंकीकुलसंख्या - 2400		
प्रस्तावितवृक्षारोपणहेतुनियत स्थान प्रथमवर्ष	पौधोंकीप्रजातियां	पौधोंकीसं ख्या
बैरियरजोन	नीम,खमेर, सिरस,कालाऔरसफ़ेद,जंगलजलेबी,आंवला,चिरोल,करंज,सिस्सूएवंअन्य स्थानीयप्रजातियां	600
परिवहनमार्ग	खमेर,चिरोल,करंज,बीजा,जंगलजलेबी,कदमएवंअन्यस्थानीयप्रजातियां	500
ग्रामवासियोमेंवितरणहेतु	नीम,आम,कटहल,बेर,आँवला,हर्रा,महुआ,कबीट,नींबू,बहेरा,बेलएवंअन्यस्थानी यप्रजातियां	900
ग्रामपंचायतChakjairampurकेप्राथमि कशाला	कदम,नीम,खमेर,सिस्सूएवंअन्यस्थानीयप्रजातियां	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

7. **Case No P2/852/24 Shri UMMED PARIHAR, Owner, Sindpan, Tehsil Malhargarh, Dist.-Mandsaur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (7500 cum per annum) (Khasra No. 463/1) Village**

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

**MUNDARI Tehsil Malhargarh District Mandsaur (M.P.)
SIA/MP/MIN/468510/2024 DEIAA Re-appraisal (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

8. Case No P2/843/24 Shri Rajkumar Patwala, Director, PATWALA MINERALS AND MINES PRIVATE LIMITED, 72 Sukh Niwas, Cat Rau, Rangwasa, District- Indore, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.577 ha. (Stone – 90,000 m³/Year) (Khasra No. 1034/1), Village- Ambachandan, Tehsil- MHOW, District- INDORE SIA/MP/MIN/468094/2024 (DEIAA Case)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री **अभिषेक अग्रवाल** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s Patwala Minerals & Mines, Director - Shri Rajkumar Patwala Address- 72, Sukhniwas Cat Road, Rau Rangwasa, Tehsil – Mhow, District – Indore (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1034/1 (निजी भूमि)	3.577 hectare.
स्थल	Village- Ambachandan, Tehsil- Mhow, District-Indore (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 12363.64 दिनांक 04/07/2014 के द्वारा स्वीकृत।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं	वर्ष– 19/12/2019, क्षमता–90,000 घ.मी. /वर्ष, उत्पादित मात्रा–90,000 घ.मी./वर्ष,	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

मात्रा।		
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् स्कीम अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया, बी-2 ।	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार –मोहित मालवीय स्थल का नाम–आम्बाचंदन दिनांक– 12 / 05 / 2024	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर –90,000 घ.मी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् स्कीमअनुसार 90,000 घ.मी./वर्ष है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 1408 दिनांक 27 / 10 / 16 के द्वारा पत्थर–90000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2453 दिनांक 22 / 11 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 उत्खनिपट्टा रकबा 1.40 स्वीकृत है, कुल रकबा 4.977 अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2453 दिनांक 22 / 11 / 23 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। 250 मीटर में वन क्षेत्र सीमा स्थित है। राजस्व भूमि पर उत्खनिपट्टा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में संभागायुक्त की अध्यक्षता में संभाग स्तर पर गठित समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 12 / 09 / 13 के अनुसार उत्खनिपट्टा क्षेत्र वन सीमा से मी दूर स्थित है तथा उक्त निजी भूमि पर उत्खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने की समिति द्वारा अनुशंसा की गई है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2453 दिनांक 22 / 11 / 23 अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं तालाब, अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत आम्बाचंदन जिला इंदौर के प्रमाण-पत्र क्रमांक 493 दिनांक 28/02/2012 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं ।
केशर की स्थिति	केशर लीज के अंदर है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 24 पेड़ है जो बैरियर सीमा में स्थित है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा- कच्चा रोड लगभग 370 मी. दक्षिण श्चिम दिशा - पक्का रोड लगभग 430 मी. दक्षिण श्चिम दिशा - नदी लगभग 2.40 कि.मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-43 के सरल क्रमांक-41 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

- खनन क्षेत्र निजी भूमि एवं सहमति पर प्रस्तावित है । खनन क्षेत्र में 50 प्रतिशत फेंसिंग का कार्य किया गया व सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये । बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके रेस्टोरेशन हेतु ईएमपी प्लान में रु. 1.00 लाख राशि सम्मिलित की जावे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 90,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.86 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.06 लाख ।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

3. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोreshन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
6. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
7. माईन रिस्टोreshन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
8. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
- 9- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S NO	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

I	<p>Ino. of Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline.</p> <p>Hiring of water tanker (5,000L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 150/day (PP owned tanker) for 300 days</p>	50,000 45,000	10000
II	<p>Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 300m Long)</p> <p>1. Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. settling tanks will be of double “S” pattern.</p>	75,000	10,000
III	<p>Contribution in development & maintenance of W.B.M road (Road length approx 430 m, Width 5.5m - (excluding shoulders) (approx @ ~Rs 500/meter.) including the provision of rumble strips)</p>	2,15,000	20,000
IV	<p>Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr,</p>	NIL	40,000
V	Plantation (Total 4302 Plants will be planted)		
	<p>1. Within Lease Area (In Barrier Zone) 800@150rs./tree 1st year –covering the whole periphery of Mine lease boundary (400 nos)</p>	1,20,000	10,000
VI	<p>2. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 500 nos on evacuation route up to 430 m both side (@ Rs 500/tree including the Cost of tree guard) 2nd year – 470nos will be distributed the nearby villagers (@Rs 50/tree)</p>	1,50,000 2,50,000	30,000
VII	<p>3. Sowing of the Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew americana, along the bund of excavated garland drain & settling tank.</p>	8,000	3,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
VII -A	Wire fence (~800 m long) (@Rs 200/m)	1,60,000	20,000
	Induction Motor (3 phase motor of 5 HP) with accessories for dewatering the pit.	35,000	5,000
VIII	PUC certification of vehicles (5 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	2500
Labor Welfare			
IX	Repairing of rest shelter (15x 15 ft.) with solar light	20,000	8,000
X	Repairing of existing & Construction of new Toilets 2 no. (Male & Female) 12500 x 2	25,000	5,000
XII	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves including safety harness for the workers involved in blasting/drilling works for max 1 worker only - (10x Rs 2000+Rs 2,000 for safety harness @Rs 2000 per set)	44000	10,000
Emergency Rescue Plan			
XIII	Fire Fighting Equipments (1nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	3,000
XIV	Safety signage and warning boards like red flags, cones & reflectors etc.	7,000	2,000
Solid Waste Management			
XV	a) Bins 4 Nos @ Rs 1500 each	3,000	3,000
	b) Pit and Composting	4,000	
	c) Transport of Dry Waste	5,000	
XVI	Expenditure for	20,000	
	A. Distribution of LED bulb in Ambachandan village for sequestration of Carbon.	80,000	
	B. Installation of Solar light in Govt. school of Ambachandan		
XVII	Expenditure for Restoration of Barrier Zone.	1,00,000	-
XVIII	Crusher Pollution equipment	1,50,000	25,000
	Total	1,86,000	2,06,500

10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम आम्बाचंदन के विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि 03 माह के अन्दर प्रदान की जावेगी	1,50,000/-

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	संतरा, पपीता, आम, हाइब्रिड मूंगा, कटहल, आवला आदि।	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	पीपल,, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू, नीम आदि।	500
3	ग्राम आम्बाचंदन में ग्राम वासियों को फलदार पौधे वितर. हेतु	संतरा, पपीता, आम, हाइब्रिड मूंगा, कटहल, आवला आदि।	3002

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. **Case No 8284/2021 Mohd Zafar Qureshi, Lease Owner, At- Dayra, Mirkala Bazar, Tehsil- Shajapur, District- Shajapur M.P Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.8 ha. (Stone-8312 cum per annum & Murrum-5,000 cum per annum) (Khasra No. 672/MIN-1) Village BHILWARA Tehsil Shajapur District Shajapur (M.P.). SIA/MP/MIN/469046/2024 (EIA)**

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29.05.2024को परियोजना प्रस्तावक मो.ज़फरकुरैशीएवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अजय मोहनउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मो. ज़फरकुरैशीपुत्रमो. अज़ीज़कुरैशी पता : ग्रामदायरामीरकलाबाजार, तहसीलएवंजिलाशाजापुरम. प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	672/Min-1 शासकीयभूमि	1.800 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम - भीलवाडिया,तहसीलएवंजिलाशाजापुरम. प्र.	
लीज स्वीकृति	कार्यालयकलेक्टर (खनिजशाखा) जिलाशाजापुरकेपत्रक्रमांक 527/खनिज/2019 शाजापुरदिनांक 27/05/2019 को 10 वर्षकेलिएस्वीकृतकीगईहै ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदितखननयोजनाकेअनुसारब्लास्टिंगप्रस्तावितहै ।	
प्रकरण की स्थिति	नवीनप्रकरण ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं ।	
टॉर	ToR Letter No. 856/SEIAA/2021 dated 24.05.2021	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-8,312 घन मीटर/वर्ष एवं मुरम -5,000घन मीटर/वर्ष ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)जिला शाजापुर के पत्र क्रमांक 527/खनिज/2019 शाजापुर दिनांक 27/05/2019 केअनुसार 500 मीटर की परिधि में 4 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 7.450 हेक्टर होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालयकलेक्टर (खनिजशाखा) जिलाशाजापुरकेपत्रक्रमांक 527/खनिज/2019 शाजापुरदिनांक 27/05/2019 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालयकलेक्टर (खनिजशाखा) जिलाशाजापुरकेपत्रक्रमांक527/खनिज/2019 शाजापुरदिनांक 27/05/2019 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिकक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्रामपंचायतभीलवाडियाजिलाशाजापुरकेठहरावप्रस्तावक्रमांक 1 दिनांक 26.01.2019 केअनुसारप्रस्तावितस्थलपरखननकार्यहोनेसेपंचायतकोकोईआपत्तिनहींहै ।
केशर की स्थिति	केशरखननक्षेत्रकेअंदरलगायाजायेगा ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • लीज़मेंस्थितपेड़ोकाविवरण : 5 पेड़खजूरएवंपलाशके 27 पेड़हैं । • यदिपेड़काटेजानेहैतोउनकाविवरण : 5 पेड़खजूरएवंपलाशके 27 पेड़ । • जंगलीकरोंदाकीझाड़िया : 35-40 • जंगलीबेरकीझाड़िया : 8-10 • काटेजानेवालेपेड़ोकेएवजमेंलगाएजानेवालेपेड़ोकेसंख्या :- 500हैं । • यदिपेड़ोकोगैरखननक्षेत्रकेरूपमेंछोड़ाजानाहैतोउसकाविवरण :-7 पेड़ ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तरपूर्वदिशा - Wind mill -400 M</p> <p>पूर्वदिशा - Wind mill -350 M</p> <p>पश्चिमदिशा - 1.511 किमीपरग्रामटुकरानास्थितहैएवंराष्ट्रीयराजमार्ग 2.560 कीदूरीपरहै ।</p> <p>दक्षिणपश्चिमदिशा - 1.312 किमीकीदूरीपरग्रामभीलवाडियास्थितहै ।</p>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-30 के सरल क्रमांक-7 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 26.09.2023 को संपन्न हुई । समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—8,312 घन मीटर/वर्ष एवं मुरम —5000घन मीटर/वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. **6,67,000/-** एवं रिकरिंग राशि रू. **Recurring: 2,48,200/-** प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital	Recurring
1	पानी की आवश्यकता (@INR 300 / टैंकर x 7 KLD के 1 टैंकर x 250 दिन)	₹ 0.00	₹ 75,000.00
2	02 No. सेटलिंग टैंक एस प्रकार (10 मीटर x 2 मीटर x 2 मीटर) और गारलैंड ड्रेन (594 मीटर x 1.5 मीटर x 2 मीटर)	₹ 80,000.00	₹ 15,000.00
3	एप्रोच रोड का रखरखाव, स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टी-प्वाइंट आदि का विकास (1180 मीटर लंबाई x 5.0 मीटर चौड़ाई)	₹ 75,000.00	₹ 10,000.00
4	कुल वृक्षारोपण 2200 @ 100 रुपये/पौधा	₹ 2,20,000.00	₹ 44,000.00
5	वर्ष में दो बार निगरानी (परिवेशीय वायु @ 7000 रु., पानी @ रु. 7000, परिवेशीय शोर @ रु. 1000)	₹ 0.00	₹ 30,000.00
6	तार की बाड़ (लगभग 600 मीटर @ 100 / मीटर)	₹ 60,000.00	₹ 3,000.00
7	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की सुविधा (12 श्रमिकों के लिए 1 वाटर कूलर @ 10,000 रुपये प्रत्येक और रखरखाव के लिए 3000 रुपये प्रति वर्ष)	₹ 10,000.00	₹ 3,000.00
8	महिलाओं एवं पुरुषों के लिए शौचालय @ 10000 x 2रुपये सोखता गड्ढों के साथ और 2000 रुपये/वर्ष रखरखाव के लिए	₹ 20,000.00	₹ 2,000.00
9	12 श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच - INR 500/कार्यकर्ता (वर्ष में दो बार)	₹ 60,000.00	₹ 12,000.00

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

10	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण रखरखाव के लिए @INR 15000 X 1 और 1000/वर्ष।	₹ 15,000.00	₹ 1,000.00
11	पीपीईएस (हेलमेट, जूते, दस्ताने, चश्मा आदि) का प्रावधान @ 1500 x 18 श्रमिक	₹ 0.00	₹ 18,000.00
12	श्रमिकों के लिए आश्रय कक्ष (30*20) = 600 वर्ग फुट	₹ 50,000.00	₹ 5,000.00
13	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली @ INR 5000/यूनिट और 1000/वर्ष रखरखाव	₹ 10,000.00	₹ 1,000.00
14	20 ट्रक एवं अन्य वाहन के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणन @ 500/प्रत्येक	₹ 0.00	₹ 6,000.00
15	चारागाह भूमि विकास रु. 5.00 हेक्टेयर तक की खदानों के लिए @ 5000	₹ 5,000.00	₹ 0.00
16	विविध व्यय जैसे 2 सोलर लाइट - 6000 रुपये/लाइट और प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड - 2000 रुपये	₹ 12,000.00	₹ 1,200.00
17	श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण (न्यूनतम @ 500/श्रमिक)	₹ 0.00	₹ 12,000.00
18	कार्बन ट्रेडिंग के लिए आसपास के किसानों से पूर्ण विकसित 350 पेड़ों को गोद लेना (10 वर्ष)	₹ 50,000.00	₹ 0.00
19	पर्यावरणीय पहलुओं के संबंध में किसानों/स्थानीय समितियों और पंचायत को प्रशिक्षण	₹ 0.00	₹ 10,000.00
	Total	₹ 6,67,000.00	₹ 2,45,200.00

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **60,000/-** तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 03 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

S. No.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
01	ग्राम भीलवाडिया की आंगनवाड़ी में खेल कूद की सामग्री प्रदान हेतु सहयोग राशि देना	50,000.00
02	ग्राम भीलवाडिया के प्रत्येक परिवार को LED बल्ब का वितरण	10,000.00
	Total	60,000.00

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	वृक्षारोपणकास्थान	वृक्षोंकीप्रजाति	वृक्षोंकीसंख्या
1	बॅरिअर ज़ोनमेंवृक्षारोपण	करंज, चिरोल, जंगल जलेबी ,पीपल,वस्थानीय प्रजातिआदि। 4 पौधों के बीच में एक सीताफल पौधे का रोपण किया जाएगा ।	550
2	आवागमन सड़क परवृक्षारोपण(न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मी. पूर्ण सुरक्षा सहित)	नीम,बबूल, जंगल जलेबी, करंज चिरोल,वकस्तरआदि।	550
3	भीलवाडिया स्कूल एवं ग्राम पंचायत भीलवाडिया के पास तथा ग्राम से पहुंच मार्ग तक वृक्षारोपण (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मी. पूर्ण सुरक्षा सहित)	कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां ।	550
4	भीलवाडिया, टुकराना अभयपुर ,ग्रामवासियो को पौधो का वितरण	आम, ईमली, बेल, आवला, सीताफल, मुनगा, नींबूव स्थानीय प्रजाति आदि।	550
Total			2200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. **Case No P2/860/24 Shri PAPPU CHOUDHARY, Proponent, village Khandwa, Dist-Dhar (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of**

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

1.00 ha. (15,000 cum per annum) (Khasra No. 643/1/3) Village Khandwa Tehsil Dhar District Dhar (M.P.) (TOR)

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत है, जिसमें आज दिनांक 29.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक पप्पु चौधरी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री पप्पु चौधरी पिता श्री परमानन्द चौधरी, निवासी-ग्राम खण्डवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	643/1/3 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.00 हेक्टयर निजी भूमि
स्थल	ग्राम खण्डवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक -219/उ.प./न.क्र.-07/23/खनिज/2023-24, दिनांक 30.01.2024 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है ।
टॉर	लागू नहीं है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 875/खनिज/2024-25, दिनांक 19.04.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में प्रस्तावित खदान के अलावा 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 23.6 हे. होता है, परन्तु 08 खदानों में से प्रस्तावित खदान एवं 01 अन्य खदान मुरम की है और बाकी की 07 खदान पत्थर गिट्टी की ई इस प्रकार प्रस्तावित खदान एवं 01 अन्य खदान दोनो मुरम की हैं जिसके कारण इनका एरिया 2.70 हे. होता है। अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 875/खनिज/2024-25, दिनांक 19.04.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 875/खनिज/2024-25, दिनांक 19.04.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
नगर परिषद्/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खण्डवा, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 15, दिनांक 11/4/24अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 04 पेड़ हैं इनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जावेगा ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा – लगभग 500 मीटर पर तालाब है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण में सम्मिलित कर लिया जाएगा ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में प्रस्तावित खदान के अलावा 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 23.6हे. होता है, परन्तु 08 खदानों में से प्रस्तावित खदान एवं 01 अन्य खदान मुरम की है और बाकी की 07 खदान पत्थर गिट्टी की ई इस प्रकार प्रस्तावित खदान एवं 01 अन्य खदान दोनो मुरम की हैं जिसके कारण इनका एरिया 2.70 हे. होता है। अतः प्रकरण B2श्रेणी का है। इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का ओ.एम. दिनांक 01/07/2016 प्रस्तुत किया गया जिसमें होमोजीनियस मिनरल के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख है।

(b) in Appendix XI,-

“(6) A cluster shall be formed when the distance between the peripheries of one lease is less

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

than 500 meters from the periphery of other lease in a homogeneous mineral area which shall be applicable to the mine leases or quarry licenses granted on and after 9th September,2013.”

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-15,000 घनमीटर/वर्ष।
- 2- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत	आवर्ती लागत
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	50,000	20,000
1.ब	पानी की कीमत 2.0 KLD		1,00,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 900 मी के साथ /500 मीपक्का एप्रोच रोड निर्माण	4,50,000	10,000
3.	वृक्षारोपण	4,80,000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानों40 वर्ष के लिए/000	-	60,000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक वाटर) 50-30/कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलर/2000 .रु (वर्ष रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @15000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	30,000	3,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में) दो बार प्रति श्रमिक500 रु(-	15,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु./2000 वर्ष रखरखाव के लिए।	50000	4000
9.	खनन कार्यो के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	50,000	20,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट		1,00,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक		2000
13.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 470 मीटर Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 4) एवं मजदूरी	40,000	10,000
14.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ /8000प्रकाशवेब साइट () विकास एवं रखरखाव@ रु5 ./,000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ (3500खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड)@ /2000सोलर आदि (15,000	2,000
15.	कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिएनिकट ग्राम के स्कुल में सोलर पैनल स्थापित किया जायेगा	60,000	-
16	खदान के परिधि में 470 की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटर की जाएगी(2,35,000	30,000
	कुल योग	14,80,000	4,32,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि ₹ 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹. में)
समीपस्थग्राम खंडवातालाब का गहरीकरण किया जायेगा	60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी(7.50 मीटर बेरियर जोनमें 470 मीटरतीन लाइनो में किया जायेगा)	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	400
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

11. Case No P2/866/24 Smt.ZAHIRA SHEKH, Owner, ward no 8 old thana Road Tehsil & District Balaghat (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.65 ha. (16530 cum per annum) (Khasra No. 130 Change 217, 134 Change 222) Village- Banki, Tehsil- Seoni, District- Seoni (M.P.). (B-2)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती जाहिरा शेख पत्नि श्री मो. जाहिद शेख एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस इन्वायरमेंटल

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt Jahira Shekh W/o Shri Mo. Jahid Shekh Resi –Ward No.8, Old Thana Road, Balaghat, District- Balaghat (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	पुराना 130, 134 (निजी – भूमि) नया 217, 222	2.650 hectare.	
स्थल	Village- Banki, Tehsil- Seoni, District- Seoni (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 11164–65 दिनांक 06/06/2017 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष– 12/04/2017, क्षमता– पत्थर– 16,530 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	पुनरीक्षित अक्षांश/देशान्तर
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	बी– 2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम– बांकी दिनांक– 26/12/2023		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 1483 दिनांक 22/11/2017 के द्वारा पत्थर–16,530 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है। उक्त खदान 2017 में सेंक्शन हुई थी लेकिन इसका एग्रिमेंट 03/03/2020 में हुआ था। लेकिन कोरोना काल आ जाने के कारण परियोजना प्रस्तावक के अस्वस्थ हो जाने के कारण उक्त खदान का संचालन नहीं हो पाया है। अब वर्तमान में सिया से पर्यावरण स्वीकृती लेकर विधिवत कार्य प्रारम्भ		

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	किया जाएगा।
उत्पादन क्षमता	क्षमता— पत्थर—16,530 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 586 दिनांक 19/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.650 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 586 दिनांक 19/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 586 दिनांक 19/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय, नदी, तालाब, बांध/स्टॉपडैम/नहर/पक्का रास्ता कच्चा रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बांकी जिला सिवनी ठहराव प्रस्ताव क्र. 03 दिनांक 02/05/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	आवेदित लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवेदित क्षेत्र में 15 वृक्ष हैं इनमें से 12 पेड़ को नो माईनिंग जोन में आ रहे हैं एवं बाकी 3 पेड़ों में पेड़ों कि केनओपी से 3-3 मीटर का सेटबैक देकर पेड़ों को काटा नहीं जाएगा है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— नहर लगभग 220 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	पूर्व दिशा— नहर लगभग 122 मीटर की दूरी पर है जिससे 78 मीटर का सेटबैक दिया गया है एवं पक्का रोड लगभग 480 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	दक्षिण दिशा— पक्का रोड लगभग 460 मीटर की दूरी पर स्थित है।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	पश्चिम दिशा— कच्चा रोड लगभग 30 मीटर एवं नाला लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
	सेटबैक देने के बाद माईनिंग एरिया 1.6025 हेक्टेयर एवं नो मईनिंग एरिया 0.6685 हेक्टेयर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	06/05/2024 परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान 2017 में सेंक्शन हुई थी लेकिन इसका एग्रिमेंट 03/03/2020 में हुआ था। लेकिन कोरोना काल आ जाने के कारण परियोजना प्रस्तावक के अस्वस्थ हो जाने के कारण उक्त खदान का संचालन नहीं हो पाया है। अब वर्तमान में सिया से पर्यावरण स्वीकृती लेकर विधिवत कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 50% पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 6 पेड पुराने हैं एवं 50 पेड नए लगाए गए हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 20% पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बेंचेस की स्थिति।	अभी खदान चालू नहीं हुई है।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि 100 पौधों का रोपण किया गया
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट खदान 16,530 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 4- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.91. लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.33 लाख प्रति वर्ष

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	47,295	-
1(b)	Water requirement- 1.051 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (260 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
3.	PLANTATION SCHEME	3,05,000	15,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	750 plants × 150 Rs=1,12,500/-		
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	2100 plants × 50 Rs=1,05,000/-		
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	350 plants × 250 Rs=87,500/-		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 730 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 		80,185	5,000
5	Wire fence (725 m) @200 rupees/meter.		1,45,000	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.		-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).		10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15× 500 × 2)		-	15,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500)		22,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet		1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system		5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)		-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.		22,000	-
17	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (300 LED Bulb x 100 Rs / Bulb) = 30,000 and 70,000 Rs used for installation of solar plant in Banki primary school		1,00,000	
18	Air Pollution control Equipment for Dust control		1,50,000	15000
	TOTAL		11,91,980 /-	1,33,000/-

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

1. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	750
2	नो माईनिंग जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
3	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	350
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2200
योग			3600

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No P2/855/24 Shri HALKE SINGH, Owner, Village- Poniva, Tehsil- Majholi, Dist- Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum quarry in an area of 1.950 ha. (10372 cum per annum) (Khasra No. 82) Village Patori Tehsil : Majhauri District: Jabalpur (M.P.) SIA/MP/MIN/469383/2024 (B-2)

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री हल्के सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज एवं सुश्री रश्मि सारस्वत, ऑनलाईन, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Halke Singh S/o Late Shri Vishal Singh Village : Poniya District – Majhouli, (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 1.95 Ha.	
स्थल	Village – Poniya, Tehsil – Majhauri & District – Jabalpur (M.P)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भूमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 11579/ खनिज/उ.प./नव/न-क्र-09/2023 भोपाल 31,8,2023 के अनुसार स्वीकृत।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नहीं	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नया प्रकरण है	
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	नहीं	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण है	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (पोनिया) दिनांक - 14.04.2024	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नया प्रकरण है
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	नया प्रकरण है
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुररूम 10,372 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1562/खनिज/2023-24 जबलपुर अनुसार 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान है जिससे कुल रकबा ३.६५० हेक्टेर है अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1562/खनिज/2023-24 जबलपुर अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1562/खनिज/2023-24 जबलपुर अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टेमला जिला महोरा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02,10,2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	लीज क्षेत्र पर क्रशर प्लांट प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	नहीं
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में से एक कच्चा रास्ता निकल रहा है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कच्चे रास्ते के दोनों ओर

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	100-100 मी. का सेटबैक छोड़ा जाना प्रस्तावित किया है। अतः खनन हेतु 0.61 हे. एवं गैर खनन क्षेत्र हेतु 1.34 हे. छोड़ा गया है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रकरण है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के प्रमाण-पत्र क्रमांक 1967/खनिज/2023-24 जबलपुर 08.04.2024 अनुसार समलित कर लिया जाएगा
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	B2 Case

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र में से एक कच्चा रास्ता निकल रहा है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कच्चे रास्ते के दोनो ओर 100-100 मी. का सेटबैक छोड़ा जाना प्रस्तावित किया है। अतः खनन हेतु 0.61 हे. एवं गैर खनन क्षेत्र हेतु 1.34 हे. छोड़ा गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नककृए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 23278 घनमीटर/वर्ष है।
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.81 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.60 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये रु-

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Water sprinkling facility with private water for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	50,000	10,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 1 tanker x 300 Rs./per day X 250 days	Nil	75,000
2	Two Settling Tank [2.5m (W) x 10m (L) 2m (D)] Garland drain [461 m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D)]	69,150	7,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 346 m , Width 6.0m) 346 m @ 500Rs./Meter	1,73,000	10,000
4	Plantation (500 plants will be planted & 1500 Distribution in the First year)	2,85,000	25,000
5	Wire Fence 575 m x 500Rs.	2,87,500	30,000
Carbon Sequestration			
6	Installation of Solar panel with the help of Gram panchayat	1,50,000	50,000
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (11 x 15 feet)	10,000	1,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 2	10,000	5,000
9	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. =12500Rs./twice per year = 25000	Nil	25,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @ 1000 Rs.	25,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
12	Fire Safety (1 nos.) , @ 10,000	10,000	1,000
Solid Waste Management			
a.	Bins 2 Nos.	500	5,000
b.	Pit and Composed	500	
c.	Transport of Dry Waste	500	
13	Vehicle Maintenance +PUC Certification	Nil	5,000
14	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	Total EMP Cost	10,81,150	2,60,000

3. CSR Table

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 30000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-पवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)
1.	पोनिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	30,000
Total		30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधोंकीकुलसंख्या - 2000				
अवस्था	प्रस्तावितवृक्षारोपणहेतुनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियां	पौधोंकीसंख्या	टिप्पणी
प्रथमवर्ष	बैरियरजोन	नीमखमेर, सिरस(कालाऔरसफेद), जंगलजलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सूएवंअन्यस्थानीयप्रजातियां	100	<ul style="list-style-type: none"> • पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी. एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5 मी. औरगड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा। • परिनालीकेनिर्माणकेदौराननिकलीहुईमिट्टीमेंसूबबूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिसऔरअन्यस्थानीयप्रजातियोंकेबीजबुवाईकीजाएगी। • ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमीविकसितकीजाएगी। • तारकीबाड़कीसुरक्षाकेसाथ। • गारलैंडड्रेनवसेटलिंगटैंककीबुंडपरबीजरोपणकियाजाइएगा। • रखरखावलीजपीरियडतककियाजाएगा।
	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400	<p>परिवहनमार्गकेदोनोंओरएकपंक्तिमें4 फीटऊंचाईपौधोंकेवृक्षारोपणकिएजाएंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> • पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी. एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5 मी. औरगड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा। • पौधोंकीसुरक्षाहेतुप्रभावशाली 6 फीटऊंचाईकाट्रीगार्ड।
	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय	500	<ul style="list-style-type: none"> • पौधोंसेपौधोंकेबीचकीदूरी 3 मी. एवंपंक्तिसेपंक्तिकीदूरी2.5मी. औरगड्डेकाआकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवंगड्डेमेंगोबरकीखादऔरशेषमिट्टीसेभराजाएगा। • परिनालीकेनिर्माणकेदौराननिकलीहुईमिट्टीमेंसूबबूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिसऔरअन्यस्थानीयप्रजातियोंकेबीजबुवाईकीजाएगी। • ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमीविकसितकीजाएगी। • तारकीबाड़कीसुरक्षाकेसाथ।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	प्रजातियां		
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे। गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।
ग्राम पंचायत आलोनीया के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500	<ul style="list-style-type: none"> गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्रीवाल की व्यवस्था है।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No. P2/153/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 472/2 in Village - BAARBANDH-4, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 80000 cum per annum [MIN/460316/2024]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल	472/2 (सरकारी-गैर वन भूमि)	10.00 हे.

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

(सरकारी/निजी)	
स्थल	ग्राम -बारबंद, तहसील-गौरिहार, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 80,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 80,000 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल - 22.000 हे.
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1805 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1805 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-बारबंद, ग्रामसभा- हाजीपुर, जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-11 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक23/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है। 2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है। 3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है। 4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है। 5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते है,मेरी

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	जमीन पर कब्जा किया है।
--	------------------------

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 10.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 80,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.08 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.62 लाख प्रति वर्ष ।

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
--------	-------------	--------------	----------------

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	122400
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	550000	60500
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	45000	5100
5	PUC certification for trucks	Nil	10000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	45000	5000
7	Drinking Water Facility for Labour and staff	10000	2000
8	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
9	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	21000
10	PPEs for Sand Mining operations	Nil	31500
11	VT Training for Labours	Nil	10500
C. Carbon Sequestration			
12	Installation of Solar Panels	70000	-
13	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	16000	-
D. Emergency Rescue Plan			
14	First Aid Box & firefighting Equipment	29000	2000
15	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	5000
E. Solid Waste Management			
16	Bins 2 nos	3000	-
Total		808000	362000

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम बारबांध के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु	1,15,000.00

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

1,15,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	
---	--

नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 8000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर)नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन घास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2500
2	बारबांध ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5500
कुल			8000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम एवं लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

14. Case No P2/152/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 269/231 in Village - BAARIKHEDA , Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 70000 cum per annum [MIN/460367/2024]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस एमएसएस एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	269/231 (सरकारी-गैर वन भूमि)	10.00 हे.
स्थल	ग्राम-बारीखेड़ा, तहसील-गौरिहार, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 70,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 70,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 01 कुल क्षेत्रफल - 10.000 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1804 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1804 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-दादुताल, ग्रामसभा-बारीखेड़ा, जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 15/04/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-10 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक23/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है। 2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है। 3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है। 4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है। 5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते है,मेरी जमीन पर कब्जा किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है, परन्तु लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, जो लगभग 4.0 हे. है। अतः उत्खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र 6.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.25 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 70000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

उत्पादन क्षमता रेत –70000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.61 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.52 लाख प्रति वर्ष।

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	82620
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	380000	44550
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	16500	2000
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	25000	3000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	10500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16800
9	VT Training for Labours	Nil	4200
C. Carbon Sequestration			
10	Installation of Solar Panels	68000	-
11	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	14000	-
D. Emergency Rescue Plan			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	16000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	16000	2000
E. Solid Waste Management			
14	Bins 2 nos	1000	-
Total		561500	252670

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.12 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम बरीखेड़ा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 112000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	112000.00

1. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 7000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

1	नदी के किनारे पर)नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन घास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2200
2	बारीखेड़ा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4800
कुल			7000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम एवं लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No P2/165/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 14.00 Hectare, Khasra No.- 396/2 in Village - MAWAIGHAT-1, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 150000 cum per annum [MIN/452425/2023]

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि लीज क्षेत्र की केएमएल ईमेज के अनुसार कुछ भाग उत्तर प्रदेश की सीमा में

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

स्थित है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति संबंधित जिला खनिज अधिकारी से स्पष्ट की जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से लीज क्षेत्र की स्थिति की वास्तविक जानकारी के बारे में अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें तदुपरांत प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

16. Case No P2/159/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.00 Hectare, Khasra No.- 39 in Village - MAWAIGHAT-2, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 50000 cum per annum [MIN/452834/2023]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस ए मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	39, (सरकारी-गैर वन भूमि)	7.00 हे.
स्थल	ग्राम-मवईघाट, तहसील-गौरिहार, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 50,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 50,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

में अन्य खदानें	कुल क्षेत्रफल - 17.000 हे.
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1802 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1802 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-मवईघाट, ग्रामसभा-मवईघाट,जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 02/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-8 के सरल क्रमांक-8 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक23/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है। 2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है। 3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है। 4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है। 5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते है,मेरी जमीन पर कब्जा किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है, परन्तु लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, जो मार्च 2022 की गुगल ईमेज के अनुसार लगभग 2.2 हे. है। अतः उत्खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र 4.8 हे. एवं माईन प्लान अनुसार रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 50000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -50000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.10 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.34 लाख प्रति वर्ष।

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	70020
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	350000	40000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	12000	1400
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	20000	2000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

6	Bio-Toilets for Male and Female	27000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	10500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	16800
9	VT Training for Labours	Nil	4200
C. Carbon Sequestration			
10	Installation of Solar Panels	60000	-
D. Emergency Rescue Plan			
11	First Aid Box & firefighting Equipment	20000	1000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	20000	2000
E. Solid Waste Management			
13	Bins 2 nos	1000	-
Total		510000	234920

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.94 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम मवईघाट के शासकीय स्कूल / आंगनवाड़ी में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 50000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	50000.00
ग्राम मवईघाट के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 44,000. 00रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	44,000.00
कुल	94000.00

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन घास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	मवईघाट ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3500
कुल			5000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम एवं लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No P2/157/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 12.00 Hectare, Khasra No.- 472/2 in Village - BAARBANDH-2, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 50000 cum per annum [MIN/452601/2023]

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस ए मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबादतेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,परियोजना/कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	472/2 (सरकारी-गैर वन भूमि)	12.00 हे.
स्थल	ग्राम -बारबंद, तहसील-गौरिहार, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 50,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 50,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल - 24.000 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1808 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1808 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत- बारबंद, ग्रामसभा- हाजीपुर,जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-12 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक23/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है। 2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है। 3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है। 4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है। 5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते है,मेरी जमीन पर कब्जा किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है, परन्तु लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, जो लगभग 4.0 हे. है। अतः उत्खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र 8.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 50000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत –50000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

- सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
 5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 6. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.38 लाख प्रति वर्ष ।

EMP Budget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	113400
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	450000	50000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	51000	5100
5	PUC certification for trucks	Nil	6000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	45000	5000
7	Drinking Water Facility for Labour and staff	10000	2000
8	Bio-Toilets for Male and Female	25000	3000
9	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	21000
10	PPEs for Sand Mining operations	Nil	31500
11	VT Training for Labours	Nil	10500
C. Carbon Sequestration			
12	Installation of Solar Panels	50000	-
13	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	10000	-
D. Emergency Rescue Plan			
14	First Aid Box & firefighting Equipment	29000	2000
15	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones	10000	5000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	etc		
E. Solid Waste Management			
16	Bins 2 nos	3000	-
Total		683000	338500

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.92 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम बारबांध के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 92,000.00 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	92,000.00

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर)नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में(1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	बारबांध ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3500

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

कुल	5000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम एवं लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>	

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No P2/169/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 12.0 Hectare, Khasra No.- 472/2 in Village - BAARBANDH-1, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 50000 cum per annum [MIN/452471/2023]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है जो केन नदी पर स्थित है जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीबलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	472/2 (सरकारी-गैर वन भूमि)	12.00 हे.
स्थल	ग्राम -बारबंद, तहसील-गौरिहार, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 50,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 50,000 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 03 कुल क्षेत्रफल - 34.000 हे.
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1807 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1807 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-बारबंद, ग्रामसभा- हाजीपुर, जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-12 के सरल क्रमांक-22 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक23/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत के बीच गांव से रोड निकला है। 2. परियोजना के आवागमन से दुर्घटना होती है। 3. परियोजना रेत खनन से कोई समस्या नहीं है। 4. खेत में रेत खनन के परिवहन से धूल जाने की समस्या है। 5. खेत के बीच में से रोड निकाला गया है। जिससे वाहन निकलते है,मेरी जमीन पर कब्जा किया है।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। उपलब्ध गुगल ईमेज मार्च 2022 के अनुसार लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, जो लगभग 5.2 हे. है। अतः उत्खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र 6.8 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 50,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत –50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.38 लाख प्रति वर्ष ।

EMPBudget

S. No.	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	113400

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

(सरकारी/निजी)	(गैरसक्रीय भूमि नदी)	20.00 हे.
स्थल	ग्राम – मेहरागांव, तहसील –साईखेड़ा, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मेहरागांव रेत खदान, दिनांक- 29/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा मेहरागांव रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 3,24,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 994 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं । इस प्रकार कुल रकबा 20.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 994 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 994 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे तान/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मेहरागांव जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 27/09/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	दुधि नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-02 एवं पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गुगल ईमेज मार्च 2024 के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है, एवं उत्खनन हेतु रेत उपलब्ध है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 20.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 3,24000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -3,24000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 31.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 11.17 लाख प्रति वर्ष।

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,62,000
1(b)	Water requirement- 4.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (900m in length × 5m in width)	2,70,000	50,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(6600X150 = ₹9,90,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X500 = ₹ 1,50,000)	19,95,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(17100X50 = ₹ 8,55,000)	2,00,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (150 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	1,50,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 25	20,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 25 Labors -25× 500 × 2)	-	25,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 25 workers - 25 × 1500)	37,500	8,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management	10,000	2,000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	system		
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	25,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B) Installation of Solar Panels of Gram panchayat Mehragaon in school.	3,00,000	-
Total		31,68,500/-	11,17,000/-

12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 6.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी ई.आर. मद से 3,00,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम मेहरागांव के भासकीय प्राथमिक भाला के खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	3,00,000
ग्राम मेहरागांवके शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य उपकरण हेतु 3,50,000 रुपये की राशि शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	3,50,000
कुल	6,50,000

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 23,700 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 300 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
------	----------------------------------	---------------------	---------------------

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	6600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	17100
कुल			24000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

21. Case No P2/155/24 BALVEER TOMAR, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 1540/1 in Village - PADWAAR-1, Tehsil - Gaurihar, District - Chhatarpur (MP), Maximum Production - 25000 cum per annum [MIN/452433/2023]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है जो केन नदी पर स्थित है जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बलवीर सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस एमएस एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री बलवीर सिंह तोमर, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1540/1 (सरकारी-गैर वन भूमि)	10.00 हे.
स्थल	ग्राम-पड़वार, तहसील-गौरिहार, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 25000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 25000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	उत्खनि पट्टों की संख्या - 02 कुल क्षेत्रफल -17.000 हे.	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला -छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1799 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य / पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1799 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत -पड़वार, ग्रामसभा- पड़वार जिला-छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 26/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-7 के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक23/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । उपलब्ध गुगल ईमेज मार्च 2022 के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है, परन्तु लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, जो लगभग 2.2 हे. है। अतः उत्खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र 7.8 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 25000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -25000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

E. Solid Waste Management			
15	Bins 2 nos	3000	-
Total		377000	311420

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.81 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम पड़वार के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 81000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	81000.00
कुल	81000.00

6. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, लेमन घास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	पड़वार ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हायब्रिड बेर, आँवला, मुनगा, सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
कुल			3000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का प्रतिस्थापन खनन अवधि तक किया जाये। गारलैंड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बेड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No P2/410 SHASHI SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 13.000 Hectare, Khasra No.- 208/1, 208/2, in Village - SANSARKHEDA-1 , Tehsil - Gadarwara, District - Narsinghpur (MP), Maximum Production - 210600 cum per annum [MIN/444963/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भाि भूशण सिंह (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भाि भूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 208/1 व क्षेत्रफल – 208/2 13.00 हे. (ासकीय भूमी नदी)
स्थल	ग्राम – संसारखेड़ा, तहसील –साईखेड़ा, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम संसारखेड़ा-1 रेत खदान, दिनांक- 29/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा संसारखेड़ा-1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 2,10,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 2,10,600 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 997 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 10.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 23.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 997 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 997 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ भौक्षणिक संस्था /चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे तान/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झिकौली जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	दुधि नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां त भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-06 एवं पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-06 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 13.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 2,10600 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

उत्पादन क्षमता रेत -2,10600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तो का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 24.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 8.40 लाख प्रति वर्ष।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ (4300X15	13,45,000	2,09,772

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	Rs. 150/plant.	0= ₹6,45,000)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(300X500 = ₹ 1,50,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(11000X5 0 = ₹ 5,50,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (98 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	98,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 27		20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 27 Labors -27× 500 × 2)		-	27,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 27 workers - 27 × 1500)		40,500	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	4300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	11000
कुल			15600
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No P2/414/24 SHASHI SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 7.330 Hectare, Khasra No.- 163, 166, in Village - GHOORPUR , Tehsil - Gadarpura, District - Narsinghpur (MP), Maximum Production - 118746 cum per annum [MIN/444756/2023]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री शशि भूषण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री शशि भूषण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 163, 166 (ग्रासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 7.33 हे.
स्थल	ग्राम – घूरपुर, तहसील –गाडरवारा, जिला –नरसिंहपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम घूरपुर रेत खदान, दिनांक – 21/10/2023	

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा चिरहकला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,18,746 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,18,746 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 4.000 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.334 अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कजरोटा जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 12/01/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	सीतारेवा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकां 1 भाग सूखा हुआ है।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

6. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.64 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.87 लाख प्रति वर्ष ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,08,000
1(b)	Water requirement- 3.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,80,000	36,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2400X150 = ₹ 3,60,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200X500 = ₹ 1,00,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(6200X50 = ₹ 3,10,000)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (55 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	55,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

15. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम पंचायत भवन घूरपुर के निर्माण कार्य हेतु 2,40,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी	2,40,000
कुल	2,40,000

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2600 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 6200 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	2400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	6200
कुल			8800
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक		

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	–नरसिंहपुर, म.प्र.
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम चिरहकलां रेत खदान, दिनांक – 02/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	सिया द्वारा चिरहकला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 81,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 81,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1018 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 7.500 हैं। इस प्रकार कुल रकबा 12.5 अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1018 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1018 दिनांक

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ औक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे तान/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिरहकला जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	शक्कर नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	17/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 21 के सरल क्रमांक-26 एवं पेज नं.-79 के सरल क्रमांक-4 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 23/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 600 मी. पर रोड ब्रिज है। रोड ब्रिज की दूरी 500 मी. से अधिक होने के कारण कोई सेटबैक नहीं दिया गया। आसपास में कोई अन्य संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 5.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 81,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1600X150 = ₹ 2,40,000)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X500 = ₹ 50,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(4300X50 = ₹ 2,15,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (38 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	38,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 23		20,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 23 Labors - 23× 500 × 2)		-	23,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 23 workers - 23 × 1500)		34,500	6,900
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000

development project "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) [Total Plot Area-2269107.6 sqm, Total Built-up Area-1443221.17 sqm) at Village- Misrod, Jatkhedi, Bagli, Katara and Barrai of Bhopal district, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP). Category-8-b,

Chronology of the case

- The case was recommended by SEAC in its 713th meeting dated 11/01/2024.
- SEIAA in its 831st meeting dated 20/02/2024 referred back the case to SEAC.
- In the SEAC 735th meeting dated 02/04/2024 following queries were issued to the PP.

समिति ने उपरोक्त सिया द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का परीक्षण कर परियोजना प्रस्तावक को निम्न अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये:—

- प्रस्तुत परियोजना क्षेत्र में गूगल ईमेज के अनुसार दो प्राकृतिक नाले प्रवाहित होते दिख रहे हैं अतः इन दोनों नालों के प्राकृतिक बहाव के संरक्षण हेतु एवं पानी के कैचमेन्ट क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये अभियांत्रिकी एवं वैज्ञानिक डिजाईन पर्याप्त बजट के साथ ई.एम.पी योजना में प्रस्तुत की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें हरित क्षेत्र एवं पेड़ों के संरक्षण हेतु आदि के विषय में सिया द्वारा जो विचार दिया गया है उसके बारे में वचन पत्र देते हुये पर्याप्त बजट के साथ ई.एम.पी योजना में प्रस्तुत की जाये।

The PP submitted query reply on parivesh portal dated 20/05/2024. In the SEAC 760th meeting dated 29.05.24 the case was scheduled for query reply presentation wherein Env. Consultant Shri Krishan Chandra Panda, on-line from M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Gaziabad, UP and PP Shri Arvind Mandrai Executive Engineer, Division No. 1, Bhopal Development Authority, Bhopal presented the same, wherein following points submitted w.r.t. above queries:-

1. PP presented runoff calculations of both the incoming and outgoing nala along with the cross section designs and engineering drawings considering the runoff flow of the water catchment area. The detailed calculations, Cross-section design and design drawing were found satisfactory.

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

2. The Cross-section design and design drawing had been vetted from **MANIT, Bhopal vide letter dated 11/09/2023** and showed during presentation.
3. Approx. INR 10.09 Crore has been allocated in BoQ (Bill of Quantity) of DPR for the construction/maintenance of the runoff nala's. Provision of parapet wall and embankment are proposed along with the EMP measures and the amount 32.5 lakhs has been allocated in the EMP budget.
4. For development and plantation at **Chinar Park, Bhopal with the consultation of Nagar Nigam/PWD**. Amount of INR 05.0 Lakhs shall be allocated for plantation and maintenance. Intimation of the same has been given to Nagar Nigam via vide letter no. 1210/का.यं./सं. 01/भोविप्रा/24भोपालदिनांक 28/05/2024.
5. PP submitted an affidavit dated 20/05/2024 that he will abide and try to implement all the possible suggestions given by SEIAA in respect of green area.

PP also submitted revised plantation scheme and EMP budget as suggested by the committee.

GREEN BELT DEVELOPMENT PLAN

Green Belt Park

Green Area No.	Green Area (Sq. Meter)	Perimeter (Meter)	Spacing (2.5m*2.5m)	No of Row	No. of Trees Proposed	Type of plantation	Type of Species
GA-1	1178.84	170	2.5	2	136	2 Row Plantation	Ashok Saptarni Neem
GA-5	1525.65	202	2.5	2	162	2 Row Plantation	Ambla Bel
GA-6	2444.62	232	2.5	2	186	2 Row Plantation	Kusum Tinsa Anjan
GA-7	1929.6	190	2.5	2	152	2 Row Plantation	Dahiman Padar
GA-11	629.52	156	2.5	2	124	2 Row Plantation	Putranjiva Kachnar

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	45 Meter Wide Road (RHS)	3671	3	1	1 Row Plantation	1224	0.6	2202.6	Kanak Karanj Pride of India	Species	Kanak Karanj Pride of India
2	30 Meter Wide Road (Median)	500	5	1	1 Row Plantation	100	1.5	750			
3	24 Meter Wide Road (Median)	4695	5	1	1 Row Plantation	939	1.5	7042.5			
4	18 Meter Wide Road (Median)	5238	5	1	1 Row Plantation	1048	0.6	3142.8			
	Total	21446				6003		20847			

Green Belt Development at Chinar Park, Bhopal

Green Belt Development at Chinar Park Bhopal	Green Area (Sq. Meter)	Perimeter (Meter)	Density of Plantation @ Plant/Hectare	No. of Trees Proposed	Type of plantation	Type of Species to be planted
Total	20128	2358	1200	2415	Dense	Ashok Saptarni, Neem Amla, Bel Kusum, Tinsa Anjan, Dahiman Padar, Putranjiva Kachnar, Kadamb Molshree Neem Jungle Jalebi Chirol, Kanak Champa Karanj, Pride of India etc.

Summary of Proposed Greenbelt Plantation Scheme

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

PARTICULAR OF THE AREA	AREA	No. of Proposed Trees
Green Area along the Roads	20847 sq.m	6003
Green Area for Park development (OPEN)	35430.84 sq.m	2796
Green Area of Dense Plantation (OPEN)	75359 sq.m	11273
Green Area at Chinar Park Development	20128 Sq.m.	2415
Total Green Area	151764.8 sq.m (15.17648 Ha)	22487

Revised EMP COST

- i. For Environment Management Plan PP has proposed Rs.**14,10,01,084 (1410.01084 Lakhs)** as capital cost for this project. Since it is an area development project, there will be no recurring cost as EMP.

S. No	Component	Description	Unit	Quantity	Unit Cost (INR)	Total Cost (INR) in Single Head	Total Cost (INR) in Single Head in Lakhs	Total cost (INR)	
								Detail Cost	Cost in Lakh
1	Green Area Development	Avenue plantation of local native plant sp., flowering, shade, ornamental & pollution absorbing tree etc. with 80% survival rate including tree guard						2309880	23.0988
		1) 1 Row median plantation along 18 meter road	No.	1048	100	104800	1.048		
		2) 1 Row median plantation along 24	No.	939	100	93900	0.939		

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – 15,876 मी.³
2. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे।
4. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है।
6. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
7. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
8. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्टस में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
9. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे।
10. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
11. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12,23,300/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,25,500/- प्रति वर्ष।

Sr.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A.	FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION		

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000
	Cost of water of Plantation 5000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	64,500
2	Garland Drain is proposed(579m x 2m x 1.5m) And one Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	80,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 579	1,15,800	5,000
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1900 x Rs.200	4,50,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (400 X Rs. 50)		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 55m x 5m) @500/sqm	27,500	10,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/25 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 20 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	20,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 20 worker@ Rs. 1500/worker	30,000	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs.	10,000	2000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	2000/year maintainenece.		
14	Half yearly PUC certification for 7 trucks @1000/truck	-	7000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	Nil	Nil
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	VT Trainings for 20 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	10,000
18	For carbon emission reduction - LED bulb distribution	50,000	Nil
	Total	12,23,300	3,25,500

12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय प्राथमिक स्कूल घूमन कलां में आधोसंरचना विकास हेतु उपरोक्त राशि रू. 60,000 शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, चिरोल, नीम, करंज, सीताफल, खमेर एवं अन्य	1500

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

		स्थानीय प्रजातियाँ	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	मुनगा, आम, हर्रा, बहेड़ा, नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400
4.	नॉन माइनिंग जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम, करंज, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

27. Case No 10480/2023 Smt. Hate Singh, Lessee, R/o H.No. 45, Nazirabad, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)-462420, Prior Environment Clearance for Khajuriya Kalan Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (7115 cum per year) (Khasra No. 212/1), Village-Khajuriya Kalan, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP) [432672] (Query)

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें पूर्व बैठक क्रमांक 688 दिनांक 12/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री हटे सिंह सोलंकी आत्मज श्री तखत सिंह सोलंकी ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री हटे सिंह सोलंकी पुत्र श्री श्री तखत सिंह सोलंकी पता- बेरासिया, जिला- भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय भूमि खसरा नंबर -212/1	4.0 Ha.
स्थल	ग्राम-खजुरिया कलां, तहसील-बैरसिया, जिला-भोपाल (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 2149 / खनिज / उ.प. / 2015 भोपाल दिनांक 04 / 11 / 2015 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत मार्डनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 2020, क्षमता-7115 घनमीटर /वर्ष, एवं डिआ स्वीकृत के अनुसार -7125 घनमीटर /वर्ष	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण बी-2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया भोपाल के पत्र क्रमांक 113 / डिया / 2016 भोपाल दिनांक 30. 05.2016 के द्वारा पत्थर-7125 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 7115 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 7115 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2647 / खनिज / 2023 दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल	

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

की अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक 2647/खनिज /2023 दिनांक 01.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाइगर रिजर्व/ घोषित जैव विविधता क्षेत्र /नेशनल पार्क /अभ्यारण /भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ईको सेंसिटिव जोन स्थित हे तो उक्त ईको सेंसिटिव जोन से प्रस्तावित परियोजना स्थल की दुरी स्पष्ट करेंगे और नहीं होने की स्थिति में यह भी स्पष्ट करेंगे की ऐसा कोई क्षेत्र 10 किलो मीटर की दुरी में नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2647/खनिज /2023 दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, एवं जलीय निकाय/ कच्चा/पक्का रास्ता/नालास्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खजुरिया कलां जिला भोपाल क्रमांक 04 दिनांक 17.08.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	क्रेशर लीज क्षेत्र के अन्दर स्थित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 00
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा –पक्की सड़क खदान पट्टा क्षेत्र से उत्तर-पूर्व की ओर 115 मीटर दक्षिण दिशा – पक्की सड़क खदान पट्टा क्षेत्र से दक्षिण दिशा में 38 मीटर की दूरी पर मौजूद है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पक्की रोड से 100 मीटर तक गैर खनन क्षेत्र छोड़ते हुए 62 मीटर का सेटबैक उत्खनिपट्टे के भीतर दिया गया है एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से माध्यम से किया जावेगा ।

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 688 दिनांक 12/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

यह प्रकरण समिति के समक्ष री-अप्रैसल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हुआ हे, परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र दिनांक 30/05/16के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

जरी की गई थी, समिति ने निर्णय लिया की प्रकरण के री- अप्रैसल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करे

1. Land Status/form-PII
2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA)
5. Status of Eco-Sensitive Zone (Mentioned in old & New Ekal Praman Patra/SEIAA proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today
7. OB Dump and waste management with facts and figures
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof
- Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a) Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b) GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c) Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d) GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e) Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f) Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/air consents issued by MPPCB

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत कर दी गयी है इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन विधि रॉक ब्रेकर के माध्यम से ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य दर्शाते हुए संशोधित खनन योजना संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा अनुमोदित करवाकर खनन कार्य शुरू करने से पूर्व कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा भोपाल में जमा करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण को आज दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमे परियोजना प्रस्तावक श्री हटे सिंह सोलंकी ऑनलाईन जुड एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि वर्तमान में अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग स्वीकृत है । जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.52 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.2.00 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurri ng
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurri ng
1.	Hiring of water tanker (3,500 L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 730 m Long) Settling Tank is of 4m wide, 10m long & 2.5m deep Settling Tank is of 4m wide, 10m long & 2.5m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern. (Maintenance of existing facilities)	25,000	5,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approx. 140m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs. 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	70,000	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	30,000
5.	Plantation (Total 4800 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -in periphery of Mine lease boundary and in the non mining zone (2000 nos.)	3,00,000	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1st year- 100nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2nd year- 50 nos. at Village area @Rs 150 (as boundary wall is present there) 1st year- 2650 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7500 1,32,500	20,000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	D. Soil & manure bought from out side , for plantation 0.343 cubic meter soil use for per tree.	25000	-
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	5,000	1,000
6	Total Wire Fencing = (~790 m long)- {35% completed=276m} (65% Remaining to be installed = 514m @500 Rs./m)	2,57,000	25,000
7	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	500
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	20,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	5,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers.	18,000	5,000
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
14	Wind breaking wall : Total 100m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet)	50,000	-
Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area.	30,000	
17	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon.	20,000	
18.	Cost for the crusher pollution control equipment	2,00,000	30000
	Total	12,52,000	2,00,500

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :-

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

28. Case No 11078/2023 Shri Prashan Nayak R/o ganj Basoda, District vidisha (MP)-464221 Prior Environment Clearance for Flagstone Mine in an area of 1.862 ha. (6250 cum per year) (Khasra No. 85/2, 85/3), Village-Lehadra, Tehsil-Basoda, District-Vidisha (MP) [433516] [DEIAA](Reffered Back)

प्रकरण समिति की बैठक क्रमांक 740 बैठक दिनांक 24.04.2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गयी थी।

सिया की बैठक क्रमांक 850 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा प्रकरण को पुनः परिक्षण हेतु अग्रेषित किया है बैठक की कार्यवाही विवरण है कि :-

भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ नंबर IA3-22-11-2023 IA III(E 208230) दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

“.....4. In view of the above direction of Hon’ble NGT , it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13-09-20218 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been re-appraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA.....”

प्रकरण आज दिनांक 29-05-2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमे परियोजना प्रस्तावक प्रशांत नायक ऑनलाइन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव,जिसमे समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर सिया द्वारा चाही गयी उपरोक्त जानकारी के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

चूँकि यह प्रकरण परिवेश पोर्टल 1.0 पर फॉर्म 1 के माध्यम से दिनांक 15-06-2023 को आवेदन किया गया था जिसका प्रपोजल क्रमांक SIA/MP/MIN/433516 है एवं जिसका इ.डी.एस रिप्लार्ड प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23-12-2023 को किया गया था।

उक्त प्रकरण को समिति द्वारा नवीन प्रकरण के रूप में परिक्षण कर अनुशंसित किया गया था चूँकि

1) यह प्रकरण परिवेश पोर्टल 1.0 फॉर्म 1 के माध्यम से आवेदित किया गया था एवं इसमें फॉर्म 2 नहीं भरा गया था।

2) उक्त प्रकरण में प्रस्तावक द्वारा आवेदित उत्पादन क्षमता 6250 घन मीटर प्रतिवर्ष फर्शी पत्थर है एवं पूर्व में डिया विदिशा द्वारा जारी कि गयी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार स्वीकृत उत्पादन क्षमता 1080 घन मीटर प्रतिवर्ष है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन उत्पादन क्षमता पर आवेदन किया गया है।

3) सिया बैठक क्रमांक 826 दिनांक 23-01-2024 को जारी किये कार्यवाही विवरण में दी गयी एस.ओ.पि के बिंदु क्रमांक 9 के अनुसार यदि उत्पादन क्षमता में कोई भी बदलाव आता है तो प्रकरण नवीन प्रकरण के रूप में मान्य किया जावेगा एवं उक्त प्रकरण में उत्पादन क्षमता में बदलाव पाया गया है

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण को पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति डिया द्वारा प्रदाय की गई थी, प्रकरण पुर्नमूल्यांकन का नहीं है। इस प्रकरण को नया आवेदन के तहत आवेदित किया गया है एवं प्रकरण उत्पादन क्षमता वृद्धि 1080 से 6250 घन मीटर/वर्ष का है। समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

29. Case No 11110/2023 SHRI ABHISHEK JAIN, R/o A- 12, Ashok Vihar, Ujjian, District-Ujjian (MP)-456001 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे ऑन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिका निगम उज्जैन, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 11. वि./स.भा. 927दिनांक 06.12.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदानमें 15 पेड़ हैं जिनमें से किसी भी पेड़ को काटा नहीं जावेगा ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के दक्षिणदिशा में 80 मीटर पर पक्का स्ट्रक्चर होने के कारण 20 मी का सेट बैक दिया गया है पूर्व दिशा – 160 meter पर हॉल रोड है, 140 meter पर टीन शेड है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 43 के सिरियल क्रमांक- 13 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है ।

SEAC की 741 वीं बैठक दिनांक 25/04/2024 के द्वारा प्रकरण को समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माइनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है इनके द्वारा नॉन-ब्लास्टिंग का माइनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्ताव के प्रस्ताव को मान्य करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रोक ब्रेकर का उपयोग कर संशोधित माइनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से एक माह में परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ए डी एस जारी किया गया था ।

प्रकरण को आज दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक अभिषेक जैन ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री **अमित सक्सेना**, एपेक्स

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म कार्यालय इंदौर से दिनांक 18/05/2024 अनुमोदित प्रमाणित कर संशोधित नॉन-ब्लास्टिंग का माइनिंग प्लान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
- 9- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत रुपये) (में	आवर्ती लागत रुपये)

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

			(में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्प्रिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	1,00,000	75,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50KLD		75,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 900/ मी के साथ 330 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	2,97,000	20,000
3.	वृक्षारोपण	2,31,000	20,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानोंवर्ष के लिए/	-	60,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक वाटर) 50-30/कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलर .और रु (रखरखाव के लिए। वर्ष/2000	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	50,000	6,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में) दो बार प्रति श्रमिक500 रु(-	10,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	15,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	1,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@/8000 प्रकाशवेब () साइट विकास एवं रखरखाव@ रु5 ./,000खननवेब (कैमरा, (प्रति कैमरा @ (3500खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड)@ /2000सूअर आदि (50,000	5,000
14.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 350 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 04 एवं मजदूरी	25,500	15,000
15.	खदान के परिधि में 440 मीटर की लम्बाई में फेन्सिंग की	2,20,000	50,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	जाएगी)@ रु.5/00मीटरकी जाएगी(
16.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (मजदूर/	-	5,000
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ 7.50 लंबाई)भाग का पुनःभरण किया जायेगाx चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 350 मीटर	2,10,000	
18	कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए निकट ग्राम शंकरपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सोलर पैनल स्थापित किया जायेगा	50,000	
	कुल योग	11,43,500	3,73,000

11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम भांकरपुरके आंगनवाडी केन्द्र में अधोसंरचना विकास वितिय सहायता उपलब्ध की जाएगी।	50,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी(200 मीटर) बेरियर ज़ोनमें तीन लाइनो में किया जायेगा)	आम, जामुन, अमरूद, आवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	150
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर 330 मीटरअप्रोच रोड के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	330
.3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	720

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

30. Case No 11106/2023 SHRI RAJIV SHARMA, R/o Village & Tehsil- Pathar, District- Vidisha (MP)-464337 Prior Environment Clearance for Flagstone Mine in an area of 3.13 ha. (8640 cum per year) (Khasra No. 11/1, 7/4), Village- Ramgarh, Tehsil-Pathari, District-Vidisha (MP) [435346] [DEIAA](Referred Back)

प्रकरण आज सेक की 760वीं बैठक दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

31. Case No 8881/2021 Shri Amit Kumar Rajput S/o Shri Rameshwar Rajput, Ward No. 40, Sita Ram Colony, Dist. Chhatarpur, MP, SIA/MP/MIN/66669/2021 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.708 ha. (35000 Cum per annum) (Khasra No. 189/1), Village - Ganjsijari, Tehsil - Bijawar, Dist. Chhatarpur (MP) [66669] (EIA) (Referred Back)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 693वीं बैठक दिनांक 20/10/23 के द्वारा प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया के पत्र क्रमांक 981 दिनांक 27/05/24 अनुसार प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को पुनः परीक्षण हेतु भेजा गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 29/05/2024 को समिति के समक्ष रखा गया है प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **अमित राजपूत** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **अमर सिंह यादव** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजनाविवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अमित राजपूत पता-वार्ड नंबर -40, सीताराम, कॉलोनी, जिला - छतरपुर मध्य प्रदेश
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरानं.-189/1, क्षेत्रफल -4.708 ha (सरकारी भूमि नॉनफॉरेस्ट लैंड) नौइयत-पहाड़

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

स्थल	Village- Ganjsijari, Tehsil- Bijawar and District-Chhatarpur Madhya Pradesh.
लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- छतरपुर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक- 270 / खनिज / 2021, छतरपुरदिनांक 21 / 01 / 2021 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 35,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- 35,000 घनमीटर/वर्ष)
टॉर	TOR Recommended in 541 st SEAC Meeting dated 20/01/2022. TOR Letter no. 3154/SEIAA/2022, dated 26/02/2022
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-छतरपुर (म.प्र.) के -पत्र क्रमांक/खनिज/ 2644 / 2021, छतरपुर, दिनांक-10 / 08 / 2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 1 अन्य खदान जिसका रकबा 6.0 हेक्टेयर है कुल रकबा 10.708 हेक्टेयर है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय सामान्य वन मंडल छतरपुर मध्य प्रदेश के -पत्र क्रमांक/खनिज/ 2021/98, छतरपुर, दिनांक-06 / 01 / 2021 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार तहसील बिजावर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक/508/प्रवा./2020, बिजावर, दिनांक-24 / 11 / 2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे: रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्रामपंचायत नायगांवजिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 20 / 11 / 2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	आवंटित पट्टा क्षेत्र में 02 पेड़ हैं। जिनको काटा नहीं जायेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में पक्का रोड 396 मीटर पर दक्षिण पश्चिम दिशा में आबादी 565 मीटर पर पूर्व दिशा में कच्चा रोड 16 मीटर पर । 34मीटर का सेटबैक दिया गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, छतरपुर के पेज नं.-24 के सरल क्रमांक-15 पर दर्ज है।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-35,000 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशरप्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 19.41 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 6.38 लाख प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1(b)	Cost of water of 42,00 ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	1,89,000
2	Garland Drain is proposed (878m x 02m x 1.5m) Settling tank is 15m x 04m x 02m (03 No.)	1,00,000	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (400m X 5m) @300/sqm	300,000	30,000
4	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. Total plantation in Approach road - 50 50 plant/year x Rs.500=25000/-	665000	66,500
	Plantation in Village @ Rs. 50/plant. Total plantation in village, Primary School area & 3200 (3200 X Rs. 50)= 160,000/-		

**760 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	Plantation in barrier zone @ Rs. 200/plant. Total plantation in Barrier zone – 2400 2400 plant/year x Rs.200= 480,000/-		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75,000 for half year.	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	10,000
8	Medical Check-up for 26 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	26,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 26 workers+ (2 Extra) =28@ Rs. 1500/worker	42,000	4,200
11	Shelter rooms for labors (26*10) =260 Square feet @Rs.800/square ft.	2,08,000	20,800
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 8 trucks @1000/truck	NIL	16,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	NIL	NIL
15	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
	Barbed fencing for 878m @ 500/meter	4,39,000	43,900
17	Vocational Training for 26 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	13,000
18	Installation of Solar Panel for source of Renewable Energy	50,000	NIL
	Total	19,41,000/-	6,38,400/-

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि रु
---------------------------------------	---------

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

ग्राम नयागांव (गंजसिजारी) में 01 नया हैंडपंप के साथ चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था प्रथम वर्ष में की जाएगी।	60,000 /–
---	-----------

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5650 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन में शासकीय भूमि	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, करंज, सीताफल, खमेर, चिरौल, बांस, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	50
3	नयागांव (गंजसिजारी) ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, रुद्राक्ष, अशोक मुनगा इत्यादि।	3180
4	शासकीय विद्यालय नयागांव (गंजसिजारी) में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, कुसुम, गुलमोहर इत्यादि।	20

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

- 32. Case No 8883/2021 Shri Hridesh Pathak S/o Shri Rajkumar Pathak, Village - Hama, Post - Niwari, Dist. Chhatarpur, MP, SIA/MP/MIN/66665/2021 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 6.0 ha. (100000 Cum per annum) (Khasra No. 189/1), Village - Ganjsijari, Tehsil - Bijawar, Dist. Chhatarpur (MP) (EIA) (Reffered Back)**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 692वीं बैठक दिनांक 19/10/23 के द्वारा प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

सिया के पत्र क्रमांक 983 दिनांक 27/05/24 अनुसार प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को पुनः परीक्षण हेतु भेजा गया है।

प्रकरण आज दिनांक 29/05/2024 को समिति के समक्ष रखा गया है प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **29/05/2024** को परियोजना प्रस्तावक **हृदेश पाठक** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजनाविवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	हृदेश पाठक पता-ग्राम - हमा, पोस्ट- निवारी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरानं.-189/1, क्षेत्रफल -6.0 ha (सरकारी भूमि नॉनफॉरेस्ट लैंड) नौइयत-पहाड़ चरागाह
स्थल	Village- Ganjsijari, Tehsil- Bijawar and District-Chhatarpur Madhya Pradesh.
लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- छतरपुर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक-270/ खनिज/ 2021, छतरपुरदिनांक 21 /01/2021 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 1,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर- 1,00,000 घनमीटर/वर्ष)
टॉर	TOR Recommended in 541 st SEAC Meeting dated 20/01/2022. TOR Letter no. 3164/SEIAA/2022, dated 26/02/2022
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-छतरपुर (म.प्र.) के -पत्र क्रमांक/खनिज/ 2631/2021, छतरपुर, दिनांक-10/08/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृति 1 अन्य खदान जिसका रकबा 4.708 हेक्टेयर है कुल रकबा 10.708 हेक्टेयर है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय सामान्य वन मंडल छतरपुर मध्य प्रदेश के -पत्र क्रमांक/खनिज/ 2021/193, छतरपुर, दिनांक-12/01/2020 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसिटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार तहसील बिजावर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक/510/प्रवा./2020, बिजावर, दिनांक-24/11/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदन गील क्षेत्रोंजैसे: रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	तालाब/ बांध/ स्टॉपडैम/ ग्रामीणकच्चा/ पक्कारास्ता/ नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्रामपंचायत नायगावंजिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/05/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित हैं।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	आवंटित पट्टा क्षेत्र में 05 पेड़ हैं। जिनको काटा नहीं जायेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में पक्का रोड 208 मीटर पर दक्षिण पश्चिम दिशा में आबादी 692 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, छतरपुर के पेज नं.-23 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है।
जनसुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता-1,00,000 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 27.96 लाख एवं रिक्किंग राशि रु. 7.19 लाख प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 4,000 ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	1,80,000
2	Garland Drain is proposed (1153m x 1.5m x 1.5m) Settling tank is 15m x 04m x 02m (03 No.)	2,00,000	20,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (200m X 5m) @300/sqm	300,000	30,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

4	Plantation in approach road @ Rs. 500/plant. Total plantation in Approach road - 50 50 plant/year x Rs.500=25,000/-	742,500	74,250
	Plantation in Village & school @ Rs. 50/plant. Total plantation in village and School area 5,950 (5,950 X Rs. 50)= 237,500/-		
	Plantation in barrier zone @ Rs. 200/plant. Total plantation in Barrier zone 2400 2400 plant/year x Rs.200= 480,000/-		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) 75,000 for half year.	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	10,000
8	Medical Check-up for 46 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	46,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 46 workers+ (2 Extra) =48@ Rs. 1500/worker	72,000	7,200
11	Shelter rooms for labors (46*10) =460 Square feet @Rs.800/square ft.	3,68,000	36,800
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 21 trucks @1000/truck	NIL	42,000
14	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	NIL	NIL
15	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
	Barbed fencing for 1153m @ 500/meter	5,76,500	5,765
17	Vocational Training for 46 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	23,000
18	Installation of Solar Panel at the aganbadi kendra of mulguwan village	100,000	5000
19	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	3,00,000	30,000
	Total	27,96,000/-	719,015/-

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि रु
बच्चों की शिक्षा के लिए नयागांव के प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	1,50,000 /-
गंजसिजारी गांव के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में राशि प्रथमवर्ष में जमा किया जायेगा।	50,000 /-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन में शासकीय भूमि	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, करंज, सीताफल, खमेर, चिरौल, बांस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	50
3	नयागांव (गंजसिजारी) ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, रुद्राक्ष, अशोक मुनगा इत्यादि।	4700
4	शासकीय विद्यालय नयागांव (गंजसिजारी) में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, कुसुम, गुलमोहर इत्यादि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंगटैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशांसा-प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशांसा की जाती है।

33. Case No 9505/2022 Shri Ramprakash Diwedi M/s Prakashdeep Minerals, R/o LIG 3/27/306, Nehru Nagar, District-Rewa (MP)-486001 Prior Environment

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

Clearance for Harraha Stone Quarry in an area of 2.50 ha. (29382 Cum per annum) (Khasra No. 3/1, 3/5, 3/6), Village – Harraha, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) [409205] (EIA) (Query)

प्रस्तावित खदान बी-1 नवीनश्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें पूर्व बैठक क्रमांक 687 वीं दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रकाश द्विवेदी पार्टनर मैसर्स प्रकाश दीप मिनरल्स ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मैसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मैसर्स प्रकाश दीप मिनरल्स पार्टनर श्री रामप्रकाश द्विवेदी एल.आई.जी. 3/27/306, नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 3/1, 3/5, 3/6	2.500Hectare.
स्थल	निजी	
लीज स्वीकृति	ग्राम हररहा, तहसील मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.).	
स्वीकृत माइनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	(खनिज शाखा) जिला रीवा म0प्र0 के पत्र क्रमांक. 6163 रीवादिनांक 23/12/2021 के द्वारा स्वीकृत।	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	वर्ष- 2022, क्षमता-29,382 घनमीटर /वर्ष	
प्रकरण की स्थिति	उपांतरित अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नवीन	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	लागूनहीं	
	सेक की 615वीं बैठक दिनांक 30/12/2022 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2634/SEIAA/2023 दिनांक 30/01/2023 के द्वारा टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 29382 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 29382 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3310 दिनांक 02/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.634 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3310 दिनांक 02/12/22 अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है और खदान क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी 74.83 मीटर के कारण आयुक्त रीवा संभाग रीवा की अध्यक्षता में वन समिति के समक्ष प्रकरण को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। प्रकरण में बैठक दिनांक 14/10/20 को समिति द्वारा वन सीमा से 74.83 मीटर की दूरी छोड़कर उलब्ध क्षेत्र में स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान की गई।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3310 दिनांक 02/12/22 अनुसार मूल आबादी 350-450 मीटर, नदी 240-440 मीटर, नाला एवं रोड़ 30-60 मीटर लगा हुआ, सड़क 200 मीटर की दूरी पर एवं शेष अन्य मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हर्रहा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 10/11/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	केशर लीज क्षेत्र के बाहर है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 10 काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 100
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा- आबादी 125 मी. जिसके बारे में परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह बताया गया कि खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के किया जावेगा पश्चिम दिशा- प्राकृतिक नाला एवं कास्केड - 75 मी.. जिससे अनुमोदित खनन योजना के अनुसार 25 मी. का सेटबैक प्रस्तावित है और खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के किया जावेगा उत्तर दिशा-बांध का पूर्ण जल भराव स्तर (FSL) - 100 मी.अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के किया जावेगा दक्षिण दिशा- प्राकृतिक नाला - 44 मी. 06 मी. का सेटबैक (बेरिअर जोन के अंतर्गत) एवं पक्की सड़क- 85 मी. जिससे अनुमोदित खनन

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	योजना के अनुसार 15 मी. का सेटबैक प्रस्तावित है और खनन कार्य बिना ब्लॉस्टिंग के किया जावेगा
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक .01/06/2023 को संपन्न हुई रोजगार दिया जाये पानी का छिड़काव किया जाये पेयजल की व्यवस्था की जाये उपरोक्त आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-71 के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है ।

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 687वीं दिनांक 11/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

प्रस्तुतीकरण के उपरांत समिति द्वारा पाया गया कि खदान के समीप एक जलाशय स्थित है। अतः समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई –

- जलाशय के फुल टैंक लेवल से प्रस्तावित खदान के विभिन्न खसरों की दूरी मानचित्र पर अंकित कर प्रस्तुत करेंगे
- जलाशय की सुरक्षा के दृष्टिगत जलाशय से कितनी दूरी पर माईनिंग करना उपयुक्त होगा, इस संबंध में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।
- प्राप्त अभिमत के आधार पर पुनर्रीक्षित माईनिंग प्लान भी प्रस्तुत करेंगे।

तदनुसार परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करे।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत कर दी गयी है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलाशय की सुरक्षा के दृष्टिगत जलाशय से कितनी दूरी पर माईनिंग करना उपयुक्त होगा, इस संबंध में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से अभिमत प्राप्तकर, जलाशय के फुल टैंक लेवल से प्रस्तावित खदान के विभिन्न खसरों की दूरी मानचित्र पर अंकितकरएडीएसके माध्यम से जमा करा दी गयी है

प्रकरण को आज दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध किया गया, जिसमे परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रकाश द्विवेदी ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

जिसमें यह पाया गया की परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कार्यपालन यंत्री अपर पूर्व नहर संभाग रीवा से पत्र क्रमांक 1852कार्य /2023 दिनांक 27/05/2024 द्वारा अभिमत प्राप्त कर लिया गया है इस पत्र के अनुसार बांध का पूर्ण जलभराव स्तर (FSL) प्रस्तावित खदान से लगभग 100मीटर की दूरी पर है एवं कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय रीवा, मध्यप्रदेश, पत्र क्र. 1372 रीवा दिनांक 30/11/2022द्वारा अनुमोदित की गई खनन योजनाके अनुसार प्रष्ट क्र. 18 के पेरा 4.13 में ये वर्णित हैं की खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग (रॉक ब्रेकर) के किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –Stone – 29,382 Cu.mt/year
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जायें ।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रू. 11.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.1.76 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	For environment Protection	Capital	Recurring
1	Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-		30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 590 m Long) Settling Tank is of 4 m wide,5 m long & 2.5 m deep. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	70,000	10,000
3	A Development and maintenance of WBM approach Road length approx. 110 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs 500/meter	55,000	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@4500/yr, Noise@500/yr, Soil @5000/yr	NIL	20,000
5	Within Lease Area (In Barrier Zone) @ 150rs./tree (650 nos.)	97,500	10,000
	Within Lease Area (In non-mining Zone) @ 150rs./tree (300nos)	45000	
	At south direction at forest direction @ 150rs./tree (180 nos.)	27000	
	Outside the Lease Area 1st year- 70 Nos. on the evacuation route up to 110m both side (@ Rs 500/tree) <i>With tree guard & manure</i> 1st year- 100 Nos.at the area available area in village (School is already covered with the fencing) (@Rs 150/tree) 1st year- 1800 Nos.given to villages) (@Rs 50/tree)	35,500 15000 90000	5000
6	Cost of fertile soil to be brought from outside	30000	-
7	Chain link Fencing (720 m long) (@Rs700/m)	504000	10,000
8	PUC certification of vehicles (03 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1,500
9	Sowing of the Local seeds species, Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank	5000	
10	Drinking Water Facility and rest shelter (15x 15 ft.) with solar light	50,000	5,000
11	Toilets 2 nos. (Male & Female) 12500 x 2	25,000	5,000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

12	Occupational health checkup for workers and villagers (@twice/year)@	Nil	24,000
13	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves for the workers (12x Rs 2000)	24,000	1,000
14	Vocational Training for 12 Workers(min.@ Rs.500 /labor)	-	6,000
Emergency Rescue Plan			
14	Fire Fighting Equipment (1 No.) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
16	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	8,000	4,000
17	Extra Other Budget		
18	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 300 nos @ Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon	30,000	
19	Contribution in cluster management plan	-	25000
20	Solid Waste Management		
	a) Bins 4 Nos @ Rs 1500 each	6,000	5,000
	b) Transport of Dry Waste	-	
	Total	11,39,000	1,76,500

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम हर्रहा में बोरवेल लगवाने के लिए सहयोग राशि भूप्रवेश मिलने के 06 माह के भीतर ग्राम पंचायत के बैंक के खाते में जमा की जावेगी।	80,000/-
कुल	80,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- सीताफल,	650

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	(खदान पट्टा सीमा परिधि तक)	आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	
2	गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- सीताफल, आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	300
3	दक्षिण दिशा में वन सीमा की ओर वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, अचार आदि	180
4	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्बइत्यादि।	70
5	ग्राम दुधमनिया स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	100
6	ग्रामीणोंमें पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1800
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंद एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

34. Case No 11090/2023 SHRI KISHANLAL MOOLCHANDANI,R/o 44, ZONE - II, M.P. NAGAR, DISTRICT BHOPAL (MP)-462016 Prior Environment Clearance for Soil Mine in an area of 2.63 ha. (9018 cum per year) (Khasra No. 38, 48 part), Village-Agriya Choupda, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP) [440395] [DEIAA] (Query)

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर्शीवाद एसोसिएट, प्रो0 श्री किशनलाल मूलचंदानी, पिता श्री भगवानदास मूलचंदानी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/काँग्निजेन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स आर्शीवाद एसोसिएट, प्रो0 श्री किशनलाल मूलचंदानी, पिता श्री भगवानदास मूलचंदानी, निवासी - 44, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल, जिला - भोपाल, म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. - 38, 48 (भाग) (निजी भूमी) क्षेत्रफल - 2.630 हे.
स्थल	ग्राम - अगरिया चोपडा, तहसील व जिला - रायसेन, म.प्र.
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 144 दिनांक 27/05/2021 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नवीनीकरण।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ई.सी. के पत्र क्रमांक 174 दिनांक 07/10/2017 के द्वारा मिट्टी 9920 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी -9,018 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 9,018 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 09/08/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 1.490 हे. है, इस प्रकार कुल रकबा 4.12 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 09/08/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 09/08/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सेहतगंज जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक P/37/Qदिनांक 18/09/2020 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	लागू नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुल 07 पेड़ हैं, जिसमें 03 नीम के पेड़ हैं 02 चिरोल के पेड़ हैं एवं 02 बबूल के पेड़ हैं एवं कुछ झाड़ियां हैं, सभी 07 पेड़ खनन योग्य क्षेत्र में हैं इन 07 पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों के 3 मीटर के दायरे में खनन नहीं किया जाएगा सभी पेड़ों को सुरक्षित रखा जावेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में 140 मीटर दूरी पर कच्चा रोड स्थित है।
	पूर्व दिशा में 1.10 किलो मीटर दूरी पर मानव वसाहट स्थित है।
	पूर्व दिशा में 180 मीटर दूरी पर तालाब स्थित है।
	दक्षिण दिशा में 440 मीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग-146 स्थित है। Mineable Area 1.70 hectares and non-mineable area 0.93 hectares Yearwise map and surface map enclosed in ppt.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला रायसेन में जोड़ लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 711वीं बैठक दिनांक 23/05/22 (प्रकरण में 11090/2023 – जारी पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 09/08/23) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
जन सुनवाई	लागू नहीं।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 9,018 धनमीटर/वर्ष है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15,39,000 लाख एवं रिक्किंग राशि रु. 6,49,450 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 60,000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम अगरिया चोपडा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 60,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति के बैंक खाते में भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	60,000
कुल	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2160 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1000 वृक्षों का वितरण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में गड्ढे का आकार 70×70×70 से.मी.	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	160
3	अगरिया चोपडा ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्षा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
कुल			3160

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

35. Case No 10717/2023 Shri Jagdish Dangi, Lessee, Village-Padoniya, Panchayat-Padoniya, Biaora, District-Rajgarh (MP)-465674, Prior Environment Clearance for Padoniya Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 192/1), Village-Padonaya, Tehsil-Biaora, District-Rajgarh (MP) [442035] (Query)

पूर्व में यह प्रकरण दिनांक 06/03/2024 में सूचीबद्ध था प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया था कि उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 35 मी. की दूरी पर 24 मी. लंबा एक स्टाप डेम है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि स्टाप डेम से निर्धारित दूरी छोड़ते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी पोर्टल पर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रकरण को आज दिनांक 29/05/2024 को समिति के सक्ष रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि—

- कशर खनन क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व दिशा में स्टॉप डेम के लाईव फोटोग्राफ प्रस्तुत किये तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया पत्र भी प्रस्तुत किया गया। फोटोग्राफ एवं ग्राम पंचायत के पत्र से स्पष्ट हो रहा है कि स्टाप डेम पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका है। विंडवाल ध्वस्त हो गई है तथा उपयोग में प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः सेटबैक की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।
- परियोजना प्रस्तावक को चारागाह को विकसित कर ग्राम पंचायत को सूचित करने हेतु कहा गया। आसपास की खदानों में कोई पर्यावरणीय कार्य नहीं हुआ है।
- खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 200 मीटर दूरी पर कच्ची रोड़ है। 60 प्रतिशत फेंसिंग कार्य प्रतीत हो रहा है, गारलैण्ड ड्रेन व सेटलिंग टैंक नहीं है। बैरियर जोन में 7.5 मीटर पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है 90 पौधों का वितरण किया

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

गया है । पूर्व में जारी ई.सी. की शर्तों का पालन 6 माह में सुनिश्चित किया जावे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता—4,000 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशरप्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 10.91 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.69 लाख प्रति वर्ष ।

Sr.No.	particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000
	Cost of water of Plantation 2000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	25,800
2	Garland Drain is proposed(432m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	80,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 432	2,16,000	5,000
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 700 x Rs.200	2,10,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (400 X Rs. 50)		

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 100m x 5m) @500/sqm	50,000	10,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 10 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	10,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 10 worker@ Rs. 1500/worker	15,000	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 3 trucks @1000/truck	-	3000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	5,000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	VT Trainings for 10 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	5,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

18	LED bulb distribution for carbon emission reduction	30,000	
	Total	10,91,000	269,800

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि रु
बच्चों की शिक्षा के लिए पड़ोनिया के प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	60,000 /—

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन में	नीम, बॉस, करंज, चिरोल, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटरट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	शास. अंकुर योजना के तहत ग्राम पंचायत भवन एवं शास. स्कूल में	बेल, इमली, आवला, कटहल, आम, अमरुद, रूद्राक्ष, अशोक मुनगा इत्यादि ।	400
4	शास. अंकुर योजना के तहत पड़ोनिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	100
	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पंचायत के माध्यम से लगाए जायेंगे।	100

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंगटैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

शामिल करेंगे ।

अनुशंसा—प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

36. Case No 8913/22 Smt. Bharti Yadav W/o Shri Sukhlal Yadav, House No. 162, Village - Mangeli, Post - Nigri, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (Stone - 9718 Cum per annum, Murrum - 3523 Cum per annum) (Khasra No. 24/2 Part), Village - Manegaon, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) [69925] (Query)

प्रकरण समिति की 708वीं बैठक दिनांक 03/01/2024 को उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई थी ।

सिया की 828वीं बैठक दिनांक 08/02/2024 के द्वारा प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया है बैठक की कार्यवाही में विवरण है कि :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमादित खनन योजना के अक्षांश देक्षांश गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान प्रकरण क्रमांक 9251/22 एवं 8967/21 में ओवरलेप होना परिलक्षित है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र के पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का पर्यावरणीय पैरामीटर्स अनुसार आंकलन एवं अध्यन कर साईट स्पेसीफिक ई.एम.पी का समावेश ई.आई.ए रिपोर्ट में नहीं किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के कलस्टर का ई.एम.पी भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया एवं एयर मॉडलिंग में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, एयर मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर का पूर्ण विवरण एयर मॉडलिंग इक्वेशन में उपयोग किये गये डेटा का पूर्ण विवरण भी ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जायें।

प्रकरण समिति की 728वीं बैठक दिनांक 05/03/2024 को उक्त प्रकरण के परीक्षण उपरान्त निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

- प्रस्तावित खदान प्रकरण क्रमांक 8913/21 9251/22 एवं 8967/21 में ओवरलेप होना परिलक्षित है, अतः खदान क्षेत्र का डीजी.पी.एस. सर्वे कराकर सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित कर वास्तविक कार्डिनेट्स उपर्युक्त संख्या में प्रस्तुत करें।
- पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलूओं का पर्यावरणीय पैरामीटर्स अनुसार आंकलन एवं अध्ययन कर साईट स्पेसीफिक ई.एम.पी प्रस्तुत करें।
- कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के कलस्टर का ई.एम.पी एवं एयर मॉडलिंग में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, एयर मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर का पूर्ण विवरण तथा एयर मॉडलिंग इक्वेशन में उपयोग किये गये डेटा का पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रश्मि सारस्वत, ऑनलाईन मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रश्मि सारस्वत, द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रश्नाधीन खदान प्रकरण क्रमांक 8913/21 के अन्य प्रकरणों/खदानों से ओवरलेप होने के कारण खदान क्षेत्र का डीजी.पी.एस. सर्वे करा लिया गया है। समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र का डीजी.पी.एस. सर्वे संबंधित खनिज अधिकारी को प्रमाणित नहीं है। अतः चर्चा उपरान्त निर्देश दिये कि खदान क्षेत्र का डीजी.पी.एस. सर्वे को प्रमाणित कर प्रस्तुत करें। तदोपरान्त प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

37. Case No 11036/23 Shri Ambar Gurudeo, Partner, M/s Gurudeo Quartz, MIG Duplex No. 1, 2nd Floor, Hanthilal, HB Colony, District-Jabalpur (MP), Prior Environment Clearance for Gaurari Quartz Mine in an area of 6.60 ha. (Dolomite-70050, OB-8162 TPA) (Khasra No. 216/2/1, 233/2), Village-Gaurari, Tehsil-Maharajpur, District-Chhatarpur (MP) [446048] (Query)

प्रस्तावित क्वार्टज खदान बी-2 श्रेणी के पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 29/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गुरुदेव क्वार्टज पार्टनर अम्बर गुरुदेव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, ऑनलाईन उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

एसईएसी की 734वीं बैठक दिनांक 01/04/2024

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

परिक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :-

- प्रश्नाधीन खदान क्षेत्र में काफी संख्या में पेड दिख रहें है। अतः किसी विषय विशेषज्ञ से ट्री इन्वेट्री (10 सेमी से अधिक गोलाई के वृक्षों को शामिल करने हुये) झाडी प्रजाति के साथ, ऊँचाई एवं फोटोग्राफ सहित सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाये।
- कार्बन फुटप्रिंट के प्रबंधन हेतु अन्य किसानों के खेतों में कार्बन संचयन हेतु देय राशि का प्रस्ताव ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s Gurudeo Quartz Partner -Shri Ambar Gurudeo M.I.G. Duplex No.-1 2nd Floor, Hanthilal Housing Board Colony, Jabalpur (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	216/2/1, 223/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.200 hectare.	
स्थल	Village- Gaurari, Tehsil- Maharajpur, District-Chhatarpur (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 5010-11 दिनांक 26/04/2023 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माइनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 11/09/2023, क्षमता-क्वार्टज-65,664 टन/वर्ष,		
स्वीकृत माइनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माइनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	पुनरीक्षित अक्षांश/देशान्तर
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वार्टज -65,664 टन/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 65,664 घनमीटर/वर्ष है।		
पर्यावरण सलाहकार	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती,		

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम—गौरारी, दिनांक— 20/01/2024
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छरतपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2902 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.630 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है। एकल पत्र अनुसार जो 03 अन्य खदानें है कुल रकबा 8.430 हे. है। वे खदाने खनिज पत्थर से गिट्टी बनाने वाली हैं जबकि उक्त खदान क्वार्टज खनिज की है। इस तरह 8.430 हेक्टेयर की तीनों एवं 3.200 हेक्टेयर क्वार्टज खनिज की खदान जो की हेटरोजिनस मिनरल (असमान खनिज) हैं इस तरह आवेदित खदान बी- 2 श्रेणी में आती है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छरतपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2902 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छरतपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2902 दिनांक 26/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गौरारी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 26/01/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनिज कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुल 115 पेड़ स्थित है। चूकि ये खदान क्वार्टज की है। ये मिनरल रीफ में पाया जाता है। जिसकी चौड़ाई लगभग 30-35 मीटर हैं जिसकी लम्बाई लगभग 380 मीटर है। जिसके बिच में 35 पेड़ एवं झाड़ियाँ लगे हुये है। जो काटे जायेंगे जिसके एवज में परियोजन प्रस्तावक द्वारा 350 पौधे का वृक्षारोण करा दिया गया हैं जिसके जिओ टेग फोटो SEAC के प्रस्तुती करण के दौरान प्रस्तुत किये गये है।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

केशर की स्थिति	आवेदित क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा- तालाब लगभग 240 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, खदान से 100 मीटर पूर्व में एवं 100 मीटर पश्चिम दिशा में जो हल्के नीले रंग के संरचनाए है। पर्यावरण सलहकार द्वारा बताया गया की स्थल निरीक्षण करते समय यह संरचना आधुनिक तरीके से खेती करने की संरचनाए है। जिसमे पॉलिथिन का प्रयोग करके भूमि से जल के वाष्पीकरण को रोका जा रहा हैं
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	29/05/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता क्वार्टज खदान –65,664 टन/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 12.81 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.38 लाख प्रति वर्ष।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	CapitalCost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	71,550	-
1(b)	Water requirement- 1.59 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000 m in length x 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1000 plants x 200 Rs=2,00,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	2500 plants x 50 Rs=1,25,000/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	500 plants x 300 Rs=1,50,000/-	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 955 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000
5	Wire fence (940 m) @200 rupees/meter.	1,88,000	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15 × 500 × 2)	-	15,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500)	22,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	<p style="text-align: center;">Miscellaneous Expenses such as follows :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance. 	22,000	-
17	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	-
18	For Carbon Emission containment (960 Plants x 100 Rs / Plant)	70800	-
19	Training on organic manure manufacturing, production, use, marketing and promotion will be conducted in the Krishi Vigyan Kendra in 6 months.	-	20,000
TOTAL		12,81,235 /-	1,38,000/-

CER Table

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

20. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,70,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम गौरारी के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,70,000/-

21. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2500
योग			4000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

- अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

- 38. Case No 10742/2023 Shri Rajendra Deshmukh, Lessee, R/o Sarafa Market, Sant Vinova Ward-4, Tehsil-Amla, District-Betul (MP)-460551, Prior Environment**

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

Clearance for Morandhana Stone Quarry in an area of 0.809 ha. (4750 cum per year) (Khasra No. 21), Village-Morandhana, Tehsil-Amla, District-Betul (MP) (Query)

प्रकरण आज सेक की 760वीं बैठक दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

39. Case No 10831/2023 Shri Ashok Raghuvanshi, Owner, Ward No. 7, M R Tayar Showroom ke Pass, Ganesh Colony Bypass Road, District-Ashok Nagar (MP)-473331, Prior Environment Clearance for Akhaitappa Crusher Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (22230 cum per year) (Khasra No. 380), Village-Akhai Tappa, Tehsil-Ashok Nagar, District-Ashok Nagar (MP) [449280] [DEIAA] (Query)

पूर्व में सेक की 711 वीं बैठक दिनांक 09/01/2024 इस प्रकरण को निम्न एडीएस जारी किया गया था

- जिसमें परियोजना प्रस्तावकद्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लॉस्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लॉस्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi, Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. DelhiOnline उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Ashok Kumar Raghuvanshi S/o Shri Ganesh Kumar Raghuvanshi R/o- Ward No.7, Ganesh Colony, Ashoknagar District- Ashoknagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	380(शासकीय-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

(सरकारी/निजी)			
स्थल	Village- Akhaitappa, Tehsil – Ashoknagar, District- Ashoknagar (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के पत्र क्रमांक 171 दिनांक 27/03/2017 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 03/07/2023, क्षमता-पत्थर-22,230 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ/ना	डीएसआर हॉ/ना	पुनरीक्षित अक्षांश/देशान्तर
ब्लॉस्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लॉस्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-22,230 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 22,230 घनमीटर/वर्ष है ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम-आखईप्पा, दिनांक- 02/12/2024		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 699 दिनांक 16/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में तीन अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.81 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 699 दिनांक 16/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 699 दिनांक 16/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप		

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आखईप्या जिला अशोकनगर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 17 दिनांक 26/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड स्थित नहीं है
केशर की स्थिति	आवेदित क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— पक्का रोड लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्थित है जिससे 90 मीटर का सेटबैक दिया गया है। दक्षिण दिशा— पक्का रोड लगभग 15 मीटर की दूरी पर स्थित है जिससे 85 मीटर का सेटबैक दिया गया है।
	खदान के उत्तर पश्चिम दिशा में 2 कच्चे शेल्टर है जो की परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वमं की निजी भूमि में खदान में मजदूरों के बनाये गये हैं
	खदान से दक्षिण पूर्व दिशा में 1 घरनुमा संरचना जो कि खदान से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है वह पूर्व में स्थित एक अन्य टेम्पेरी खदान का साईट ऑफिस है। जो की रोड निर्माण के समय बना था जिसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी हैं
	खदान का पुनःरिक्त गैर ब्लैस्टिंग की खनन योजना बनाकर परिवेश पोर्टल पर आपलोड की गई हैं समस्त सेटबैक पुनःरिक्त गैर ब्लैस्टिंग की खनन योजना के अनुसार दिये गये हैं।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	29/05/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान रीजनल हेड ग्वालियर का पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके पृष्ठ 17 पर बिन्दु क्रमांक 3.61 में रॉक ब्रेकर से नॉन ब्लैस्टिंग प्लान अनुमोदित करा लिया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान पत्थर—31,230 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 12.61 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.18 लाख प्रति वर्ष

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	58,140	-
1(b)	Water requirement- 1.292 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (142 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	1200 plants × 200 Rs=2,40,000/-	5,70,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	3000 plants × 50 Rs=1,50,000/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	600 plants × 300 Rs=1,80,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 920 m Long) • Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. • Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000
5	Wire fence (915 m) @200 rupees/meter.	1,83,000	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15 × 500 × 2)	-	15,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500)	22,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	-
TOTAL		12,61,825 /-	1,18,000/-

22. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 80,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम आखईप्पा शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	80,000 /-

23. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3000
योग			4800

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/ मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

40. Case No 10964/2023 Shri Vijay Bais S/o Ram Lallu Vaishya, Owner, Ward No. 13, House No. 1 to 233, Village-Chingo, Post-Pateri, Near Government School, Chitrangi, District-Singrauli (MP)-486892, Prior Environment Clearance for Pali Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (21945 cum per year) (Khasra No. 323), Village-Pali, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [449803] [DEIAA](Reffered Back).

प्रकरण आज सेक की 760वीं बैठक दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

41. Case No 11151/2023 Shri Yogesh Singh S/o Arun Singh, Owner, R/o Gram-Makrohar, Post-Makrohar, District-Singrauli, (MP)-486886, Prior Environment Clearance for Makrohar Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (15129 cum per year) (Khasra No. 176, 178), Village-Munghawa, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) (Query)

प्रकरण आज सेक की 760वीं बैठक दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

- 42. Case No 11045/2023 Ms. Richa Singh, Partner, M/s P S Infrastructure, R/o 4/1, MANIT Campus, Near Mata Mandir, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP)-462003, Prior Environment Clearance for Biloua Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.50 ha. (7000 cum per year) (Khasra No. 23/222), Village-Shahpur, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) (Query)**

प्रकरण आज सेक की 760वीं बैठक दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

- 43. Case No 11037/2023 Shri Rajendra Kiledar, Lessee, R/o Bazar Chowk, Bhainsdehi, District-Betul (MP)-460220, Prior Environment Clearance for Rabadya Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (15773.4 cum per year) (Khasra No. 63/2, 63/4), Village-Rabadya, Tehsil-Athner, District-Betul (MP) [451364] [DEIAA] (Query)**

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें पूर्व बैठक क्रमांक 734 दिनांक 01/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेंद्र सिंह किलेदार ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री राजेंद्र सिंह किलेदार पुत्र श्री चन्द्रचूड सिंह किलेदार पता- बाजार चौक, भैंसदेही, जिला- बैतूल (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजि भूमि खसरा नंबर -63/2, 63/4	1.50 Ha.
स्थल	ग्राम-राबडया, तहसील- आठनेर, जिला- बैतूल (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक/खनिज-1/17/862, भोपाल दिनांक 10/07/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 2022, क्षमता-5842 घनमीटर /वर्ष, एवं डिया स्वीकृत के अनुसार -5842 घनमीटर /वर्ष	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण बी-2
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक 131/डिया/2017 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा पत्थर-5842 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 5842 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 5842 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/ख ₀ लि ₀ /2023/1650 दिनांक 06.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/ख ₀ लि ₀ /2023/1650 दिनांक 06.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाइगर रिजर्व/घोषित जैव विविधता क्षेत्र /नेशनल पार्क /अभ्यारण स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/ख ₀ लि ₀ /2023/1650 दिनांक 06.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, एवं जलीय निकाय/ कच्चा/पक्का रास्ता/नाला-स्थित है । शेष स्थल 500 के बहार हे
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोयलारीजिला बैतूल ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 26.06.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	क्रेशर लीज क्षेत्र के बाहर स्थित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 03 • काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में लगाने वाले पेड़ों की संख्या

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>पश्चिम दिशा —खदान स्थल से पश्चिम में लगभग 70 मीटर दूर एक पक्की सड़क है इस और बैरियर जोन सहित 30 मीटर का सेट बैक प्रस्तावित है। रॉक-ब्रेकर का उपयोग करके खनन किया जाएगा</p> <p>उत्तर दिशा —स्टॉप डैम का एचएफएल खदान से लगभग 195 मीटर उत्तर पूर्व की ओर है 200 मीटर तक ब्लास्टिंग लागू नहीं है। रॉक-ब्रेकर का उपयोग करके खनन किया जाएगा।</p> <p>दक्षिण दिशा—बसाहट खदान पट्टे से लगभग 140 मीटर दक्षिण दिशा में है। रॉक-ब्रेकर का उपयोग करके खनन किया जाएगा</p>
--	---

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 734 दिनांक 01/04/24 को प्रस्तुतीकरण हुआ था।

प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया की वर्तमान माइनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माइनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतःसंशोधित माइनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुए उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जरी किया जावे

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत कर दी गयी है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उनके द्वारा संशोधित खनन योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करा कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल में सम्बंधित प्रक्रिया पूर्ण करने केउपरांत संशोधित अनुमोदित खनन योजना जमा करा दी जाएगीउसके उपरांत ही उनके द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

प्रकरण को आज दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमे परियोजना प्रस्तावक श्री राजेंद्र सिंह किलेदार ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि वर्तमान में अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग स्वीकृत है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा संशोधित खनन योजना रॉक ब्रेकर के माध्यम से ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करा कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल एवं सिया मध्य प्रदेश में सम्बंधित प्रक्रिया पूर्ण करने उपरांत संशोधित अनुमोदित खनन योजना जमा करा दी जाएगी उसके उपरांत ही उनके द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 30 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	50 पौधे 7.5 मी. बैरियर जोन में लगाये गए
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	खदान में गारलैंड ड्रेन 20 प्रतिशत निर्मित है सेटलिंग टैंक वर्तमान में निर्मित नहीं है
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	50 पौधे 7.5 मी. बैरियर जोन में लगाये गए = कुल 50 पौधे
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –Stone – 5842 Cu.mt/year
2. खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे की ब्लास्टिंग रहित रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन कार्य हेतु संशोधित खनन योजना अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जावे ।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. पिट्स में बैचेस/बैरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
6. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.18 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.1.72 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 500 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	70,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 100 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	30,000	5,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr Soil@4000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1830 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -up to ~539m periphery of Mine lease boundary (540 nos.)	81,000	40,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2nd year- 50 nos. at Govt. school @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - 1st year- 1140 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 57,000	
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
6	Total Wire Fencing = (~539 m long) - {30% completed=162 m} (70% Remaining to be installed = 377 m @500 Rs./m)	1,88,500	25,000
	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1500
7	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2nd year- 50 nos. at Govt. school @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - 1st year- 1140 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 57,000	
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers.	16,000	5,000
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	10,000	2,000
Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pits and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

16	Expenditure on restoration of mine lease area	30,000	
17	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers for the mitigation towards carbon 200 nos @Rs100/bulb	20,000	
	Total	6,18,000	1,72,500

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम राबडयाके विद्यालय विकास हेतु विद्यालय के बैंक खाते में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 3 माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी	40,000/-
कुल	40,000/-

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1830 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवलाँ, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि	540
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि ।	100
3	ग्राम राबडया के शासकीय विद्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

5	ग्रामीणोंमें पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि ।	1140
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

44. Case No 10996/2023 Shri Bhupendra Tomar, R/o 303/k, Gayatri colony Bediya, Tehsil Sanawad, District Khargone , MADHYA PRADESH, 451113 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha.(25710 cum per year) (Khasra No. 105, 149/1, 149/2, 147/1, 150, 151/1), Village-Kalbarar Tehsil-Sanawad, District-Khargone (MP) [454089] [DEIAA] (Query)

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें पूर्व बैठक क्रमांक 730 दिनांक 18/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र सिंह तोमर ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरातउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भूपेन्द्र सिंह तोमर पता- ग्राम-बैडीया, जिला- खरगोन (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी भूमि खसरा नंबर -105, 149/1, 149/2, 147/1, 150, 151/1	4.00 Ha.
स्थल	ग्राम-कालबरड, तहसील-सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक. 800/खनिज/15, भोपाल दिनांक 29/12/2015 के द्वारा स्वीकृत ।	

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष- 2020, क्षमता-25,710 घनमीटर /वर्ष,एवं डिआ स्वीकृत के अनुसार -25,710 घनमीटर /वर्ष
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण बी-2
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक 55/डिया/2016 दिनांक 30.05.2016 के द्वारा पत्थर-25,710घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 25,710 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 25,710 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1429/ख0लि0/2023 दिनांक 18.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 04 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1429/ख0लि0/2023 दिनांक 18.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1429/ख0लि0/2023 दिनांक 18.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला-माईनर नहर

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	300 मीटर की दुरी पर स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मयावाड़ी जिला खरगोन ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 257/2015 दिनांक 19.08.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	क्रेशर लीज क्षेत्र के अन्दर स्थित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 05 • काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में लगने वाले पेड़ों की संख्या 50
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण –पक्की सड़क खदान पट्टा क्षेत्र से दक्षिण–पश्चिम दिशा में 23 मीटर पर मौजूद है प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि संशोधित खनन योजना अनुसार पक्की सड़क से 100 मीटर तक गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य बिना ब्लास्टिंग के रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन कार्य किया जावेगा । ।

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 730 दिनांक 18/03/24 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया की वर्तमान माइनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माइनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माइनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुए उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जरी किया जावे

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत कर दी गयी है जिसमें संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित खनन योजना जिसमें ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य एवं रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन विधि दर्शाते हुए संचालनालय भौमिक तथा खनिकर्म म. प्र. क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर से अनुमोदित करा कर जमा करा दी गयी है ।

प्रकरण को आज समिति की बैठक क्रमांक 760 दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र सिंह तोमर ऑनलाईन जुड एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अपलोड किये गए में यह पाया गया कि प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत संशोधित खनन योजना के प्रस्थ क्रमांक 12 के बिंदु क्रमांक 3.6 पर ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य दर्शाया

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

गया है एवं उक्त खनन योजना के नक्शों में पक्के रोड से 100 मीटर तक गैर खनन क्षेत्र छोड़ा गया है ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 60 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	वर्तमान में मौजूद नहीं है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	30% निर्मित (300m) दक्षिण एवं पूर्व दिशा में, वर्तमान स्थिति में सेटलिंग टैंक निर्मित नहीं है
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	उत्खनिपट्टे क्षेत्र के पास 100पौधे लगवाए गए एवं 55पौधे ग्रामवासियों को वितरित किये गए हैं
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता –Stone – 25,710 Cu.mt/year
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें ।
4. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये ।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 12.91 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.2.49 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 1000m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	1,20,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approx. 65m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	19,500	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 4850 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 st year -up to ~1135 m periphery of Mine lease boundary and non-mining area ((1500 nos.)	1,95,000	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1 st year- 150 nos. on evacuation route and pakka road's both side (@ Rs. 500/tree) - 2 nd year- 50 nos. at Govt. school @ Rs 150 (as	75,000 7,500	20,000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	boundary wall is present there) 1 st year- 3150 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	1,67,500	
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
6	Wire Fencing (~1135m long) (maintenance of existing wire fence every year)	-	20,000
	Curtaining with the GI sheet around the ML area 624m long (per sheet 3mX4m) Rs 1000/per sheet	2,08,000	30,000
7	PUC certification of vehicles (3 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1,500
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers.	16,000	5,000
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
14	Wind breaking wall : Total 100m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet)	50,000	5,000
Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pits and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16	Expenditure on restoration of mine lease area	30,000	
17	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 200 nos @Rs100/bulb for carbon mitigation.	40,000	
18	Expenditure on pollution control equipment for crusher plant	2,50,000	50,000

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	Total	12,91 ,000	2,49,500
--	--------------	-----------------------	-----------------

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बेड़िया के शासकीय विद्यालय विकास हेतु उल्लेखित राशि पालक शिक्षा संघ के खाते में भूप्रवेश मिलने के 6 माह के भीतर जमा कर दी जावेगी	90,000/-
कुल	90,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4850 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 1133 मीटर परिधि तक) एवं गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, आंवला, मुनगा हाइब्रिड,सीताफल, गुआवा, कटहल, अचार आदि	1500
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर (65 मीटर तक) एवं गांव की सड़कों के दोनों किनारे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।(न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मी. पूर्ण सुरक्षा सहित)	150
3	ग्राम के भासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण-50 नग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
5	ग्रामीणोंमें पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	3150

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविक्त व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

45. Case No 11080/2023 Shri Supriya Sarada R/o 2, Gandhimarg, Mahidpur, District Ujjain (MP)-456010 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.90 ha. 12000 cum per year) (Khasra No. 163/1, 164/2), Village-Rohira, Tehsil-Mahidpur, District-Ujjain (MP) [454668] [DEIAA] (Query).

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 24.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक सुप्रिया सारडा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया था ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	सुप्रिया सारडा निवासी 2 गांधी मार्ग, महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	163/1, 164/2 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.90 हेक्टेयर निजी भूमि
स्थल	ग्राम रोहिडा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 1383/खनिज/2018-19, दिनांक 06.08.2018के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक DEIAA/2018/51 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा पत्थर- 12000घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 12000घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 12000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10380/खनिज/23-24 दिनांक 06.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में Nill अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 1.90हे. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

की अनापत्ति	क्रमांक 10380 / खनिज / 23-24 दिनांक 06.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10380 / खनिज / 23-24 दिनांक 06.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरबाखेडी जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक Nil दिनांक 23.04.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदानमेंकोईपेड़नहींहै
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा – पड़त भूमि, 45 मीटर पर पक्की सडक मौजूद है । नॉन ब्लैस्टिंग का माइनिंग प्लान ऑनलाइन जमा किया जायेगा जिसमे 55 का रोड से सेडबेक दिया जायेगा
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 54 के सरल क्रमांक- 12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है ।

SEAC की 740 वीं बैठक दिनांक 24 / 04 / 2024 के द्वारा प्रकरण को समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माइनिंग प्लान में ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है इनके द्वारा नॉन-ब्लैस्टिंग का माइनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्ताव के प्रस्ताव को मान्य करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रोक ब्रेकर

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

का उपयोग कर संशोधित माइनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारीहोने की दिनांकसे एक माह में परिवेश पोर्टल परअपलोड करने हेतु ए डी एस जारी किया गया था।

प्रकरण को आज दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक अभिशोक जैन ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री **अमित सक्सेना**, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए, तथा उनके द्वारा कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म कार्यालय इंदौर से दिनांक21/05/2024 अनुमोदित संशोधित नॉन-ब्लास्टिंग का माइनिंग प्लान **समिति के समक्ष प्रस्तुतकिया**गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 12000घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
5. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
7. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
8. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
- 9- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना।

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	25,000
1.ब	पानी की कीमत 2.50KLD	-	62,500
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 900/ मी के साथ 60 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	54,000	10,000
3.	वृक्षारोपण	1,79,500	25,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानोंवर्ष के लिए/	-	80,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलरऔर (वर्ष रखरखाव के लिए।/2000 .रु	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	50,000	6,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष) में दो बार प्रति श्रमिक500 रु(-	24,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	36,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@/8000 प्रकाशवेब () साइट विकास एवं रखरखाव@ रु5 ./,000खननवेब (कैमरा, (प्रति कैमरा @ (3500खदान के प्रवेश द्वार पर	64,000	5,000

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

	डिस्प्ले बोर्ड)@ /2000सूअर आदि (
14.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 620 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 6) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 8 एवं मजदूरी	47,000	10,000
15.	खदान के परिधि में 620 मीटर की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी)@ रु.5/00मीटरकी जाएगी(3,10,000	25,000
16.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (श्रम/	-	12,000
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे 7.50 लंबाई)हुआ भाग का पुनःभरण किया जायेगाx चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 230 मीटर	1,38,000	
18	कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिएनिकट ग्राम के स्कूल एवं ग्रामपंचायत भवन में सोलर पैनल स्थापित किया जायेगा	50,000	-
19	खदान क्षेत्रमें क्रशर यूनिट के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत	2,50,000	50,000
		11,99,500	3,89,500

11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1,00,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम रोहिड़ा के शासकीय विद्यालय मे अधो विकास हेतु पालक शिक्षक संग समिति मे राशि जमा कराई जायेगी	1,00,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (330 मीटर) पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	500
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (60 मीटर) के दोनो तरफ दो लाईनो में 4	कला सिरस, बाँस, गुलमोहर, कचनार नीम, पीपल, करंज, चिरोल, आदि।	370

**760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024**

	फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में		
3	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित कियेजायेंगे	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	780
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

46. Case No 11115/2023 Shri Rakesh Kumar Mangal S/o Shri Ramnivash Mangal, Partner, M/s Mahakaleshwar Stone Crusher, R/o Sarmathura, District-Dholpur (RJ)-328021 Prior Environment Clearance for Rafatpura Stone Quarry in an area of 0.840 ha. (14421 cum per year) (Khasra No. 136/2), Village-Rafatpur, Tehsil-Pichhore, District-Gwalior (MP) [447699] [DEIAA](Referred Back)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 कोटॉर स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की बैठक क्रमांक 850 दिनांक 15/05/24 में MoEF&CC के द्वारा जारी ओ.एम. नम्बर 1ए3-22/11/2023-IA III(E 208230) Date 07/05/2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही

".....4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have

आज दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रश्मि सारस्वत, ऑनलाईन मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रश्मि सारस्वत, द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ओ.एम. में उल्लेखित दिनांक 07/05/2024 के पूर्व ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उनका आवेदन सिया में किया जा चुका था और समिति द्वारा सेक की पूर्व 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को टॉर स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसा किया गया था।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को स्टैण्डर टॉर जारी करने की अनुशंसा को यथावत रखते हुये निर्देश दिये कि डिया की जितनी भी नॉन कम्पलाईन्स शर्तों को पूर्ण करते हुये ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण में शामिल करते हुये प्रस्तुत करें।

47. Case No 11030/2023 Shri Vijay Jadav, Proprietor, M/s Jamthun Stone Deposit, R/o 03, Nirala Nagar, Badbad Naka, District-Ratlam (MP)-457001 Prior Environment Clearance for Sarwani Khurd Stone Mine in an area of 1.50 ha. (10476 cum per year) (Khasra No. 169), Village-Sarwani Bant, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [447264] [DEIAA] (Query).

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 734वीं बैठक दिनांक 01/04/2024 में प्रस्तुत हुआ था

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लारिस्टिंग प्रस्तावित है, जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा संशोधित खनन योजना कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी में समक्ष अधिकारी से (ब्लारिस्टिंग से नॉन ब्लारिस्टिंग - रॉक ब्रेकर) अनुमोदित कराकर सिया में जमा करा दी जाएगी ।

आज दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, ऑनलाईन मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान रीजनल हेड इंदौर के पत्र दिनांक 18/05/2024 के पृष्ठ 17 पर बिन्दु क्रमांक 3.6 में रॉक ब्रेकर से नॉन ब्लारिस्टिंग प्लान अनुमोदित करा लिया गया है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

48. Case No 10515/2023 Shri Ashwin Maru, Lessee, R/o Chota Bazar, Tehsil-Unhel, District-Ujjain (MP)-456221, Prior Environment Clearance for Akyanajik Stone

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

**(Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 62/1),
Village-Akya Najik, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) [436972] (Query)**

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 690वीं बैठक दिनांक 17/10/23 में प्रस्तुत हुआ था

- प्रस्तुतीकरण के पश्चात यह पाया गया कि उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिलास्तरीय समिति विदिशा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुनर् मूल्यांकन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :-

आज दिनांक 29/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र –

1. **Case No 10787/2023 Shri Jigar Bambhania, Executive Director, M/s MKC Infrastructure Limited, R/o Shiv Nagar, Anjar, District-Kutch (GJ)-370110, Prior Environment Clearance for Muhal Dhehar Stone Quarry in an area of 3.569 ha. (41895 cum per year) (Khasra No. 117/5), Village-Muhar Dehar, Tehsil-Shadhora, District-Ashok Nagar (MP) [DEIAA] (TOR)**

परियोजना प्रस्तावक ई-मेल दिनांक 29/05/24 को बताया कि प्रस्तावित खदान का समिति की 707वीं बैठक दिनांक 29/12/2023 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिमसें खसरा नं. 681,682/1/1, (निजी) रकबा 1.00हे. उल्लेखित हो गया है जबकि फार्म-1 एवं अन्य दस्तावेजों अनुसार खसरा नं. 117/5,(सरकारी) रकबा 3.569 हे. होना चाहिए था ।

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 707वीं बैठक दिनांक 29/12/2023 को अनुशंसित टॉर में खसरा नं. 681,682/1/1, (निजी) रकबा 1.00हे. के स्थान पर खसरा नं. 117/5,(सरकारी) रकबा 3.569 हे. पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

2. Case No 8830/2021 Shri Amit Sharma S/o Shri Laxminarayan Sharma, Dana Oil New Sarafa, Lashkar, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (20,000 cum per annum to 34,000 cum per annum) (Khasra No. 3921), Village - Biloua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP)

प्रकरण समिति की पूर्व 738वीं बैठक दिनांक 22/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी, जिसमें त्रुटिवश सी.ई.आर. गतिविधियों एवं वृक्षारोपण की जानकारी संबंधी अनुशंसा नहीं हो पाई थी।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व 738वीं बैठक दिनांक 22/04/2024 में निम्नानुसार सी.ई.आर. गतिविधियों एवं वृक्षारोपण की जानकारी पढ़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी :-

1. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि रु
बिलौआ गांव के प्राथमिक स्कूल के लिए शिक्षक पालक संघ के खाते में अधोसंरचना विकास के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा राशि प्रथम वर्ष में जमा करवाया जावेगा।	100,000 / -
लौआ गांव के ग्रामवासियों के लिए आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में राशि प्रथमवर्ष में जमा किया जायेगा।	50000 / -

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मेंशासकीय भूमि	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, करघई ए और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटरट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
3	गाँव बिलौआ के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	550
4	बिलौआ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ० जयप्रकाश शुक्ला)
को-चेयरमेन

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

- d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 38. केशर अथवा एम सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
 - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 39. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 0.4 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 29 मई 2024

- i. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

- workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Movable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

economic value of agricultural produce for last three yeears and details of total land holding of the PP in that district.

34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)

760राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 29 मई 2024

3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर
---	---	------------------------------

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

Additional TOR points for Minor Minerals -
In addition to Standard TOR

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared prescribing mitigative measures for air, water & noise pollution.

2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form

A- In government land

1. In barrier Zone
2. In non- mining area (set back)
3. Along evacuation route
4. And in other places
5. Distribution to nearest farmers species of fruit, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal Plants.
6. Reclaimed area by backfilling, benches, dumps etc.

B. In Fodder Land

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP

B- In Private land – fruit bearing plant (standard practice) or as P.P wants

C- Seed sowing in garland drain periphery of mine, bunds, canter trenches etc with local seeds.

3. **Set Back**– Show Ultimate Pit limit (Setback), Environment development plan, Geological/Development plan & Conceptual plan production plan with legend due to any changes in area as per the case sensitivity and according to present rules (NGT/CPCB guidelines).

1.	District Road	6	Railway line	11	Habitation,	16	ESZ area	21	water conservation structure
2.	Village Road	7	Wind mills	12	Temples	17	Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km	22	Trees inside the mine
3.	Public Road	8	Agriculture land	13	Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils Park and W.L. Niche/Archaeological Site if any,	18	Catchment area	23	Electric high tension line
4.	NH/SH	9	Natural drainage	14	Forest boundary /Revenue Forests	19	Stocked root (Area having)	24	Bridges /Culverts
5.	District Road	10	Nala/river/ Canal/ Tank/ Lake	15	1. Wildlife area /NP/WLS	20	Water conservation structures, stop dams	25	Tower, Shamshan
								26	Rare Endangered & Threatened Species (RET)

4. For blasting or for non blasting: if mine area lease within-

1. 250 m. of forest land or permitted area from Forest deptt.
2. ESZ areas, protected areas, Buffer area (Distance of site from the boundary)
3. If private land : Own/Agreement
4. Present depth of mine
5. Depth as approved in mining plan

6. In case of more depth then as given in mining plan sanction letter from DGMS Bhopal (Competent authority).
7. Proposed number of benches
8. Bench height and width
9. Conceptual depth of mine.
10. Water level
 - I. OWN
 - II. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
 - III. Cost benefit ratio
 - IV. If grass land : grass land development & maintenance
 - V. Catchment of the major river & its protection plan.

5. If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.

- Wildlife conservation plan in case of scheduled specified species as per MoEF guideline found
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- CER activities: Certificate and photograph
- Dump areas
- Proposed Production as per mining plan, EC, CTO & Production Achieved certified by M.O.

(A) If – Crusher & M-sand plant is in mining area

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Layout plan showing proposed crusher / M-sand
2. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
3. Barrier area zone
4. Setback for sensitiveness
5. Garlanding drain
6. Settling tank with sizes according to water surface plan
7. Crusher area /M.sand plant / Slurry
8. Dumping area year wise
9. Green area /Barrier area & in non-mining area
10. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) If crusher is outside of mines

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. SITE VISIT REQUIREMENTS :

Consultant must visit the site for B₁ and B₂ areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources
5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

1. Names of villages around the mines area.
2. Village wise presence of people
3. Photograph
4. Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
5. Public interest works to be mentioned in CER ac activities

6. Distance from mines area in the following public places

1. Habitation
2. School
3. Health centre
4. other public places
5. any sensitive area (man made structure / natural)
6. Sacred groves
7. Archaeological sites

9. **CER Activities** (as per project feasibility report)

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. **EMP as proposed in tabular form**

11. **Mining Activity:**

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Photograph of plantation, fencing, garlanding drain , settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on Layout plan to be enclosed
- slurry management

- Water requirement : Quantity & source

D. Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values

1. Stone - 10,000 m³/yr with crusher, 15000 m³ /yr without crusher
2. murum- 20,000 m³/yr
3. Clay – 30,000 m³/yr with kiln & chimney

F. Soil profile (Not less then 3 pits)– with Geotag Photos required as below

To lease area /nearby areas

Miscellaneous

A. Provision of fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m³/yr than provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

B. Waste Management elaborating usage & disposal

- In case of any change in method of mining, or change in Environment Plan, Geological Plan, Development plan, Production Plan, Conceptual Plan due to any sensitive features Approval from concern competent Authority.
- It there is difference in geo-coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR then DGPS report to be submitted approved by Mining Officer of concerned district.

सेतु खनन हेतु जारी स्टैण्डर्ड टॉर

सेतु खनन हेतु जारी स्टैण्डर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न अतिरिक्त शर्तों का पालन किया जाकर प्रकरण विशेष से संबंधित ई.आई.ए की प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तुत किया जावेगा।

संदर्भित पत्र जिन प्रकरणों के संबंध में स्टैण्डर्ड टॉर के सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नानुसार 11 अन्य टॉर बिन्दु के पालन करने के साथ ही Standard TOR जारी करने की अनुसंशा की जाती है :-

1. सेण्ड माइनिंग गाइड लाइन 2016 एवं 2020 के प्रावधानों का समावेश EIA में किया जायेगा।
2. मानवीय एनजीटी/हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का EIA में समावेश किया जाएगा।
3. क्षेत्र विशेष में जलीय जीव जन्तुओं की संवेदनशीलता के विषय में मतस्य विभाग का अभिमत लिया जावेगा एवं अभिमत के आधार पर इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जावेगा।
4. नदी क्षेत्र से 7.5 मीटर लगे वनस्पति/वृक्ष/झाड़ी को सुरक्षित रखा जावेगा एवं खनन कार्य से उन्हें होने वाली क्षति प्रभावी ढंग से रोकी जावेगी एवं प्रकरण विशेष को ध्यान में लाते हुए EIA में प्रावधान किये जावेगें।
5. खनन गतिविधियों के कारण जो Carbon footprint develop होगा, उनके प्रभाव दूर किये जाने के आधार पर प्रस्ताव EIA में प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जावेगा।
6. नदी से सेण्ड गाईडलाइन के अनुसार 1 कि.मी. में यदि कोई बड़ा ब्रिज या अन्य संवेदनशील संरचना पायी जाती है तो इस हेतु सेतु निगम/PWD/RES से अनुमोदन प्राप्त कर EIA में प्रस्तुत किया जावेगा।
7. वृक्षारोपण/पौधा वितरण का कार्य सितम्बर/अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।

8. सामाजिक/आर्थिक विकास से संबंधित कार्य 1.2 वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।
9. खनिज का निकासी मार्ग EIA में दर्शित किया जाएगा ।
10. गाइडलाइन्स अनुसार Sand replenishment Study की जाएगी ।
11. EIA में DSR में दी गयी समस्त जानकारियों का समावेश किया जाएगा ।

Appraisal for DEIAA to SEIAA & B-1 Cases (As per Form - 1):

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होते अतः उनकी प्रजाति, ऊंचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बड़े पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु

प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जाये।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि हिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

Standard ToR for Building Construction Project

For Duplex and Town Plantation

1. Total area
2. Total Green Area
3. Plantation Scheme
4. STP, BOD 3 mg/Liter से अधिक नहीं
5. STP type and capacity.
6. Estimated Power requirement.
7. Power consumption 30% of the total consumption in electricity.
8. Public utility facilities for maid/drivers.
9. Number of Parking & EV charging points
10. Population - No.
11. Solar lights
12. Tree inventory
13. Estimate Carbon footprint.
14. Carbon sequestration arrangement & mitigation plan.
15. Provision of Roof solar panel of each house.
16. Feeder Roads length & width.
17. Road side plantation with in the permission
18. Fencing/Boundary wall & plantation on periphery
19. Tree inventory if cutting no of tree to be
20. If no of trees more then Ecological loss study avian fauna study.
21. Number and capacity of D.G. Set.
22. In campus - if any commercial shops an there 1. Parking 2. Utility plans
23. If Any sensitive feature _____
24. Case to be appraised through recent Google image & back images.
25. Any Violation.

1. Multi Stored & Commercial Building

- I. Total Area
- II. Total height of the buildings
- III. Total plinth area
- IV. Green space, plantation scheme
- V. Distance between two tower
- VI. Number Floors
- VII. Sun path studies
- VIII. Total flats
- IX. Utilities for every floor
- X. Parking - Floor _____

Green flow – Total calculation no of vehicles

- XI. Number of EV Charging points
- XII. No of families
- XIII. Floating person
- XIV. Feeder roads length width
- XV. Fire protection total cost
- XVI. Rooting Rooms Toilets for maids etc.
- XVII. Present Google image
- XVIII. Back image also
- XIX. STP - BOD upto 3.0 mg/L
- XX. STP type and capacity.
- XXI. Rain harvesting system
- XXII. Solar panel 30% of total consumption by solar street lights
- XXIII. Estimated power requirement.
- XXIV. Estimated Carbon footprint.
- XXV. Carbon sequestration & mitigation
- XXVI. Any other sensitive feature.
- XXVII. Lawn, Green, Garden/Play ground etc.
- XXVIII. Earth Quake Zone.
- XXIX. Earth quake resistance provision.

Regarding shops

- I. Floating population
- II. Utility facilities
- III. Parking etc

- CER - As per Public Hearing
Physical/Costing

- Year of plantation to be completed.
- CER works completion time
- Plants inventory / No of tree to be cut according with Google image
- If any violation.
- If no of cutting trees more than Ecological loss assessment to be studied.
- No. of D.G. set & its Power
- No. lifts/floor wise
- In campus if any commercial shops
 - Then parking
 - Utility places
- Fencing by Boundary wall & or Wire fencing
- Periphery length & plantation – No. of Rows
Width of plantation.